2232
संख्या- /15-7-2022-1(27)/2022

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

2- सचिव,
मध्यमिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0, प्रयागराज।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 **लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2022**

विषय:- वित्तविहीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने के मानकों/शर्तों में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्रांक:-परिषद-9/मान्यता/476, दिनांक 16.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न मानकों एवं शर्तों में संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न मानकों एवं शर्तों में संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट पर माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा स्टेकहोल्डर्स से सुझाव/आपत्तियां प्राप्त की गयी। शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-परिषद-9/मान्यता/735 दिनांक 14.10.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि स्टेकहोल्डर्स से प्राप्त सुझाव/आपत्तियों का परीक्षण किया गया और सम्यक् परीक्षणोपरान्त अपना अभिमत उपरोक्त पत्र दिनांक 14.10.2022 द्वारा उपलब्ध कराया गया। शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत के क्रम में प्राप्त सुझावों/आपत्तियों का कोई औचित्य नहीं पाया गया है।

3- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से विद्यालयों हेतु न्यूनतम मानक निर्धारित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। अत: सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्रांक:-परिषद-9/मान्यता/476, दिनांक 16.08.2022 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की संस्तुतियों एवं मान्यता प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने के उद्देश्य से वित्तविहीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनियमों के अध्याय-7 में उल्लिखित मानकों/शर्तों में संशोधन किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचरोपरान्त श्री राज्यपाल, परिषद के विनियमों में संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तविहीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु मान्यता के मानकों/शर्तों में संलग्न संशोधनों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्याय-7 में उल्लिखित विनियम उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 की धारा-16(2) में व्यवस्था के अनुसार मानकों/शर्तों का गजट नोटिफिकेशन नियमानुसार निर्गत किया जाय।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

शासनादेश संख्या–2232/15–7–2022–1(27)/2022, दिनांक 26.12.2022 का संलग्नक।

नवीन विद्यालय मान्यता संशोधित व्यवस्था का प्रारूप–

वर्तमान व्यवस्था	यथा संशोधित व्यवस्था
अध्याय–सात **(परिषद् द्वारा संस्थाओं की मान्यता)**	**अध्याय–सात** **(परिषद् द्वारा संस्थाओं की मान्यता)**
1– मान्यता समिति या समितियों का गठन निम्नवत् होगा–	1– **बोर्ड मान्यता समिति का गठन निम्नवत करेगा –**
(क) परिषद् के छः सदस्य जिनका निर्वाचन परिषद् द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 13 की उपधारा(2) में विनिर्दिष्ट छः वर्गो में से प्रत्येक वर्ग के कम से कम एक सदस्य को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाय।	(क) **मान्यता समिति में सभापति एवं सचिव को छोड़कर बोर्ड के तीन अन्य सदस्य होंगे।**
(ख) परिषद् के सचिव या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव पदेन समिति के सदस्य–सचिव होगें। प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव यदि वे खण्ड(ख) के अर्न्तगत नाम निर्दिष्ट न भी हो और संबंधित सम्भाग के संयुक्त शिक्षानिदेशक/उप शिक्षानिदेशक समितियों की बैठक में सम्मिलित होगें,जब उनकी अधिकारिता के क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया जाय।	(ख) परिषद् के सचिव या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव पदेन समिति के सदस्य–सचिव होगें। प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव यदि वे खण्ड(ख) के अर्न्तगत नाम निर्दिष्ट न भी हो और संबंधित सम्भाग के संयुक्त शिक्षा निदेशक/उप शिक्षा निदेशक समितियों की बैठक में सम्मिलित होगें,जब उनकी अधिकारिता के क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया जाय।
टिप्पणी–परिषद् की मान्यता समिति की बैठक सचिव,माध्यमिक शिक्षापरिषद्,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज स्थित कार्यालय में अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालयों पर होगी।	**टिप्पणी**–परिषद् की मान्यता समिति की बैठक सचिव,माध्यमिक शिक्षापरिषद्,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज स्थित कार्यालय में अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालयों पर होगी।
2– परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मान्यता समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होगें:–	2– परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मान्यता समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होगें:–
(एक) (क) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए मानक और नियम विहित करना। (ख) मान्यता प्राप्त संस्थाओं की मान्यता प्रत्याहरित करने के सम्बन्ध में नियम बनाना, प्रतिबन्ध यह है कि मान्यता प्रदान करने तथा मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगें।	(एक) (क) मान्यता प्रदान करने के लिए मानक और शर्तेप्रस्तावित करना, (ख) मान्यता की शर्तो एवं विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करने की दशा में मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर दण्ड एवं दण्ड प्रक्रिया प्रस्तावित करना। प्रतिबन्ध यह है कि मान्यता प्रदान करने तथा मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगें। **मान्यता प्रत्याहरण को छोड़कर अन्य दण्ड बोर्ड द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।**
(दो) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार करना और उनके सम्बन्ध में संस्तुति करना,	(दो) **मान्यता प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार करना और उनके सम्बन्ध में संस्तुति करना,**

(तीन) ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना,जो उसे परिषद् द्वारा प्रतिनिहित किए जाय।

स्पष्टीकरण–"मान्यता प्रदान करना" का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए प्रथमबार संस्था को मान्यता प्रदान करने या तत्पश्चात् ऐसी परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग या विषय में मान्यता प्रदान करने से है।

3– (क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के द्विवार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर(मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क के साथ) आवेदन सम्यक रूप से वांछित प्रमाण–पत्रों सहित आन लाइन भरा जायेगा। आन लाइन आवेदन पत्र उस वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो,के पूर्ववर्ती वर्ष की 01 अप्रैल से 15 मई (बिना विलम्ब शुल्क के) तक स्वीकार किया जायेगा। 16 मई से 31 मई तक आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ आन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। 31 मई के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

(ख) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित तिथियों के अनुसार मान्यता के आवेदन–पत्रों की सूची,जिसमें विद्यालय का नाम, आवेदित परीक्षा वर्ष तथा हाईस्कूल नवीन अथवा सीधे एवं इण्टर नवीन/वर्ग/विषय का उल्लेख हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव को आन लाइन उपलब्ध कराया जायेगा:–

(1) 15 मई तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की सूची– 31 मई तक

(2) 31 मई तक प्राप्त आवेदन–पत्रों (विलम्ब शुल्क सहित) की सूची– 10 जून तक

(3) आन लाइन प्राप्त मान्यता आवेदन पत्रों का आवेदन करने की तिथि के वरीयता क्रम में संस्था का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा तथा उसी क्रम में स्थलीय निरीक्षण आख्या परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

जॉच समिति द्वारा संस्था का स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात् जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आख्या एवं संस्तुति प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 20 अगस्त।

आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 15 जून तक परिषद विनियमों में मान्यता हेतु निर्धारित मानक/शर्तो के अनुसार परीक्षण किया जायेगा तथा आवेदित मान्यता में कोई कमी अथवा विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित संस्थाधिकारी को दिनांक 30 जून तक आन लाइन सूचित करेगा। संस्थाधिकारी

(तीन) ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना,जो उसे परिषद् द्वारा प्रतिनिहित किए जाय।

स्पष्टीकरण–"मान्यता प्रदान करना" का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए प्रथमबार **नवीन** मान्यता प्रदान करने या तत्पश्चात् ऐसी परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग या विषय में मान्यता प्रदान करने से है।

3– (क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के द्विवार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर(मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क के साथ) आवेदन सम्यक रूप से वांछित प्रमाण–पत्रों सहित आन लाइन भरा जायेगा। आन लाइन आवेदन पत्र उस वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो,के पूर्ववर्ती वर्ष की 01 अप्रैल से 15 मई (बिना विलम्ब शुल्क के) तक स्वीकार किया जायेगा। 16 मई से 31 मई तक आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ आन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। 31 मई के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

(ख) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित तिथियों के अनुसार मान्यता के आवेदन–पत्रों की सूची,जिसमें विद्यालय का नाम, आवेदित परीक्षा वर्ष तथा हाईस्कूल नवीन अथवा सीधे एवं इण्टर नवीन/वर्ग/विषय का उल्लेख हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव को आंन लाइन उपलब्ध कराया जायेगा:–

(1) 15 मई तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की सूची– 31 मई तक

(2) 31 मई तक प्राप्त आवेदन–पत्रों (विलम्ब शुल्क सहित) की सूची– 10 जून तक

(3) आन लाइन प्राप्त मान्यता आवेदन पत्रों का आवेदन करने की तिथि के वरीयता क्रम में संस्था का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा तथा उसी क्रम में स्थलीय निरीक्षण आख्या परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

जाँच समिति द्वारा संस्था का स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात् जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आख्या एवं संस्तुति प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 20 अगस्त।

आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 15 जून तक परिषद विनियमों में मान्यता हेतु निर्धारित मानक/शर्तो के अनुसार परीक्षण किया जायेगा तथा आवेदित मान्यता में कोई कमी अथवा विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित संस्थाधिकारी को दिनांक 30 जून तक आन लाइन सूचित

द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति विषयक आख्या दिनांक 31 जुलाई तक आन लाइन जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करेगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपर्युक्त निर्धारित समय सारिणी का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) मान्यता प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा,जब तक कि उसके साथ सरकारी कोषागार में आवेदन शुल्क जो निम्नलिखित होगा, जमा किए जाने के साक्ष्य स्वरूप मूल कोषागार चालान न लगा हो–

आवेदन शुल्क निम्नांकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जायेगा:–

"0202–शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति
01– सामान्य शिक्षा
102–माध्यमिक शिक्षा
10– मान्यता शुल्क"

(एक) प्रथमबार हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए मान्यता के निमित्त– रूपये 30,000।

(दो) इण्टरमीडिएट परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग में मान्यता के निमित्त– रूपये 20,000।

(तीन) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए वन टाइम मान्यता के निमित्त– रूपयें 30,000 प्रतिवर्ग।

(चार) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए किसी अतिरिक्त विषय की मान्यता के निमित्त–न्यूनतम 10,000 रूपये के अधीन रखते हुए 5000 रूपये प्रति विषय।

(पांच) विलम्ब शुल्क:– 16 मई से 31 मई तक– रूपये 20,000।

(छ:) राजकीय कोषागार में जमा शुल्क का कोष पत्र का चालू वित्तीय वर्ष का होना आवश्यक होगा।

(घ) अपूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन–पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।

करेगा। संस्थाधिकारी द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति विषयक आख्या दिनांक 31 जुलाई तक आन लाइन जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करेगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपर्युक्त निर्धारित समय सारिणी का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) मान्यता प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा,जब तक कि उसके साथ सरकारी कोषागार में आवेदन शुल्क जो निम्नलिखित होगा, जमा किए जाने के साक्ष्य स्वरूप मूल कोषागार चालान न लगा हो–

आवेदन शुल्क निम्नांकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जायेगा:–

"0202–शिक्षा खेलकूद,कला तथा संस्कृति
01– सामान्य शिक्षा
102–माध्यमिक शिक्षा
10– मान्यता शुल्क"

(एक) हाईस्कूल परीक्षा के लिए मान्यता के निमित्त– रूपये 50,000।

(दो) इण्टरमीडिएट परीक्षा के सभी वर्ग (सभी विषय सहित)में मान्यता के निमित्त– रूपये 25,000 प्रतिवर्ग।

(तीन) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रथम बार (एकया एक से अधिक वर्ग किन्तु समस्त वर्ग नहीं) मान्यता के निमित्त– रूपये 30,000 प्रतिवर्ग।

(चार) इण्टरमीडिएट अतिरिक्त वर्ग में मान्यता के निमित्त– रूपये 35,000 प्रतिवर्ग।

(पांच) मान्यता वर्ग तक सीमित नहीं होगी। विषयों के चयन में स्वतंत्रता एवं लचीलापन हेतु इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए वर्ग अथवा वर्ग से इतर किसी अतिरिक्त विषय की मान्यता के निमित्त– न्यूनतम 10,000 रूपये के अधीन रखते हुए 5000 रूपये प्रति विषय।

(छ:) विलम्ब शुल्क– रूपये 20,000।

(सात) मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन शुल्क–रूपये 30,000।

(आठ) राजकीय कोषागार में जमा शुल्क का कोष पत्र का चालू वित्तीय वर्ष का होना आवश्यक होगा।

(घ) अपूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन–पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।

	(ङ) राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं को आवेदन से छूट रहेगी।		(ङ) राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं को आवेदन से छूट रहेगी।
	(च) हाईस्कूल के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु कोई आवेदन–पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व निदेशक से प्रशासन योजना अनुमोदित न कर दी गई हो।		**(च)** मान्यता आवेदन के साथ संस्था के संचालन हेतु पंजीकृत समिति/ट्रस्ट/कम्पनी की साधारण सभा द्वारा अनुमोदित 'विद्यालय संचालन योजना' प्रस्तुत करनी होगी। संस्था की एक प्रबंध समिति होगी जिसमें विद्यालय के प्रधान, शिक्षक, अभिभावक, पंजीकृत समिति/ट्रस्ट/कम्पनी से नामित सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा। 'विद्यालय संचालन योजना' में संस्था के मामलों के प्रबन्ध और संचालन की व्यवस्था तथा पदाधिकारियों के अधिकार, दायित्व एवं कार्य का स्पष्ट उल्लेख होगा।
4–	(क) विनियम–3 के खण्ड (क) के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित समिति के माध्यम से संस्था की भूमि, भवन तथा भौतिक संसाधनों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगाः– (1) जिला विद्यालय निरीक्षक – अध्यक्ष (2) सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी अथवा तहसीलदार – सदस्य (3) जनपद के राजकीय इण्टर कालेज अथवा राजकीय बालिका इण्टर कालेज के प्रधान – सदस्य उक्त जांच समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात जिला विद्यालय निरीक्षक आवेदन पत्र पर मान्यता के लिये संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि तक आन लाइन प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर अपनी आख्या एवं स्पष्ट संस्तुति करेगा और उसे परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव के पास आन लाइन प्रेषित करेगा, तथा उसकी एक प्रति (Hard copy) समस्त अभिलेखों सहित भी प्रेषित करेगा। आवेदन पत्र की एक प्रति(Hard copy) अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या का परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित मानक/शर्तों के अधीन परीक्षण किया जायेगा तथा आवेदित मान्यता में कोई कमी/विसंगति पाये जाने पर संस्थाधिकारी को दिनांक 15 सितम्बर तक आन लाइन/डाक द्वारा अवगत कराया जायेगा। संस्थाधिकारी परिषद द्वारा सूचित कमियों की पूर्ति विषयक आख्या दिनांक 30 सितम्बर तक आन लाइन/हार्ड कापी जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद के	4–	(क) विनियम–3 के खण्ड (क) के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित समिति के माध्यम से संस्था की भूमि, भवन तथा भौतिक संसाधनों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगाः– (1) जिला विद्यालय निरीक्षक – अध्यक्ष (2) सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी अथवा तहसीलदार – सदस्य (3) जनपद के राजकीय इण्टर कालेज अथवा राजकीय बालिका इण्टर कालेज के प्रधान – सदस्य **(4)** जिलाधिकारी द्वारा नामित अभियन्ता जो सहायक अभियन्ता स्तर से निम्न स्तर का न हो – सदस्य उक्त जांच समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात जिला विद्यालय निरीक्षक आवेदन पत्र पर मान्यता के लिये संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि तक आन लाइन प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर अपनी आख्या एवं स्पष्ट संस्तुति करेगा और उसे परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव के पास आन लाइन प्रेषित करेगा, तथा उसकी एक प्रति (Hard copy) समस्त अभिलेखों सहित भी प्रेषित करेगा। आवेदन पत्र की एक प्रति(Hard copy) अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या का परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित मानक/शर्तों के अधीन परीक्षण किया जायेगा तथा आवेदित मान्यता में कोई कमी/विसंगति पाये जाने पर संस्थाधिकारी को दिनांक 15 सितम्बर तक आन लाइन/डाक द्वारा अवगत कराया जायेगा। संस्थाधिकारी परिषद द्वारा सूचित कमियों की पूर्ति विषयक आख्या दिनांक 30 सितम्बर तक आन लाइन/हार्ड कापी

सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेगे।

(ख) निरीक्षक द्वारा केवल उन्हीं संस्थाओं के मान्यता आवेदन–पत्र स्वीकार किए जायेगें, जो परिषद् विनियमों/ मानक/शर्तो के प्रावधानों के अनुकूल पूरित होगें तथा जिनके साथ संस्था के प्रबन्धक द्वारा दिया गया शपथ–पत्र संलग्न होगा। अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण अथवा मानक के विपरीत भरे गए आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकर नहीं किए जायेगें।

5– संस्था द्वारा मान्यता के लिए आवेदन–पत्र में निम्नलिखित विवरण साक्ष्य सहित प्रस्तुत करेगें तथा प्रत्येक विवरण पर निरीक्षण अधिकारी अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति देगें:–

(1) जिस विकास खण्ड में विद्यालय खोलने हेतु मान्यता का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है उस विकास खण्ड के कुल हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों की संख्या।

(2) प्रबन्ध समिति का संविधान, यदि कोई हो।

(3) प्रबन्धक/मंत्री अथवा पत्र व्यवहार करने वाले व्यक्ति का नाम, जैसी स्थिति हो।

(4) परीक्षा अथवा परीक्षायें जिसके लिए मान्यता अपेक्षित है।

(5) शिक्षण के वर्ग/विषय अथवा विषयों के नाम,संस्था जिनकी व्यवस्था करना चाहती है।

(6) संस्था हेतु उपलब्ध भूमि भवन तथा कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था जिसके साथ भूमि/भवन/क्रीडा स्थल विद्यालय/समिति/ट्रस्ट के नाम होने का निजी स्वामित्व के संबंध में रजिस्ट्री (बैनामा/दानपत्र) की प्रमाणित छायाप्रति तथा खतौनी,जो भू–राजस्व अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो,संलग्न करना अनिवार्य होगा।

समिति/ट्रस्ट द्वारा विद्यालय को प्रदत्त भूमि का रकबा(क्षेत्रफल सहित) का प्रस्ताव एवं शपथ–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जो नोटरी द्वारा मूल रूप में अभिप्रमाणितकियागया हो) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व में मान्यता प्राप्त सहायता एवं असहायता प्राप्त विद्यालय को यथेष्ट प्रमाण भूमि/भवन के संबंध में प्रस्तुत करना होगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेगे।

(ख) निरीक्षक द्वारा केवल उन्हीं संस्थाओं के मान्यता आवेदन–पत्र स्वीकार किए जायेगें, जो परिषद् विनियमों/ मानक/शर्तो के प्रावधानों के अनुकूल पूरित होगें तथा जिनके साथ संस्था के प्रबन्धक द्वारा दिया गया शपथ–पत्र संलग्न होगा। अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण अथवा मानक के विपरीत भरे गए आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकर नहीं किए जायेगें।

5– मान्यता के लिए आवेदन–पत्र में निम्नलिखित विवरण साक्ष्य सहित प्रस्तुत करेगें तथा प्रत्येक विवरण पर निरीक्षण समिति अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति देगी:–

(1) विखण्डित।

(2) प्रबन्ध समिति का संविधान, यदि कोई हो।

(3) प्रबन्धक/मंत्री अथवा पत्र व्यवहार करने वाले व्यक्ति का नाम, जैसी स्थिति हो।

(4) परीक्षा अथवा परीक्षायें जिसके लिए मान्यता अपेक्षित है।

(5) शिक्षण के वर्ग/विषय अथवा विषयों के नाम,संस्था जिनकी व्यवस्था करना चाहती है।

(6) संस्था हेतु उपलब्ध भूमि भवन तथा कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था जिसके साथ भूमि/भवन/क्रीडा स्थल विद्यालय/समिति/ट्रस्ट/कम्पनी अधिनियम–2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी(Not For Profit)नाम होने का निजी स्वामित्व के संबंध में रजिस्ट्री (बैनामा/दानपत्र) की प्रमाणित छायाप्रति तथा खतौनी,जो भू–राजस्व अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो,संलग्न करना अनिवार्य होगा।

समिति/ट्रस्ट/कम्पनी (Not For Profit) द्वारा विद्यालय को प्रदत्त भूमि का रकबा(क्षेत्रफल सहित) का प्रस्ताव एवं शपथ–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जो नोटरी द्वारा मूल रूप में अभिप्रमाणितकियागया हो) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व में मान्यता प्राप्त सहायता एवं असहायता प्राप्त विद्यालय को यथेष्ट प्रमाण भूमि/भवन के संबंध में प्रस्तुत करना होगा।

विद्यालयों को मान्यता 30 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज डीड पर भी दी जा सकती है।

	प्रतिबन्ध यह है कि लीज डीड विद्यालय संचालन के लिए होगी। इसका उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा। संस्थाधिकारी द्वारा लीज डीड समाप्त होने से पूर्व उसका नवीनीकरण निर्धारित अवधि के लिए पुनः कराया जायेगा। लीज डीड समाप्त होने की दशा में संस्था की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
नोट–नगर क्षेत्र/टाउन एरिया/ कैन्टोनमेंट बोर्ड के विद्यालयों के संबंध में निजी भूमि का खसरा सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र क्षेत्रफल सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	नोट–नगर क्षेत्र/टाउन एरिया/कैन्टोनमेंट बोर्ड के विद्यालयों के संबंध में निजी भूमि का खसरा सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र क्षेत्रफल सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(क) मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था का संचालन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अधीन गठित सोसाइटी अथवा पंजीकृत ट्रस्ट द्वारा किया जा सकता है। जिन संस्थाओं का संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा, उनमें ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा सस्था को संचालित करने के लिए विभाग द्वारा अनुमोदित प्रशासन योजना के अधीन प्रबन्ध समिति के गठन हेतु अपने स्तर से पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नामित किया जायेगा, किन्तु ऐसे नामित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को संस्था के संदर्भ में ट्रस्ट की मूल भावना के विपरीत कोई निर्णय लेने का अधिकार नही होगा।	**(क)** मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था का संचालन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अधीन गठित सोसाइटी अथवा पंजीकृत ट्रस्ट अथवा कम्पनी अधिनियम–2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (Not for Profit) द्वारा किया जा सकता है। जिन संस्थाओं का संचालन सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी (Not for Profit) द्वारा किया जायेगा, उनमें सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी के सदस्यों द्वारा संस्था को संचालित करने के लिए विद्यालय संचालन योजना के अधीन प्रबन्ध समिति के गठन हेतु अपने स्तर से पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नामित किया जायेगा, किन्तु ऐसे नामित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को संस्था के संदर्भ में सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी की मूल भावना के विपरीत कोई निर्णय लेने का अधिकार नही होगा।
(ख) जिन संस्थाओं को परिषद द्वारा सोसायटीज रजिस्ट्रेशनएक्ट–1860 के अधीन मान्यता प्रदान की गई है, उनकी प्रबन्ध समिति की आम सभा की सहमति से सोसायटी को ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है इसके लिये आम सभा के कुल सदस्यों में से तीन चौथाई सदस्यों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। इस निमित्त उन्हें सोसायटी से ट्रस्ट के नाम रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।	(ख) जिन संस्थाओं को परिषद द्वारा सोसायटीज रजिस्ट्रेशनएक्ट–1860 के अधीन मान्यता प्रदान की गई है, उनकी प्रबन्ध समिति की आम सभा की सहमति से सोसायटी को ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है इसके लिये आम सभा के कुल सदस्यों में से तीन चौथाई सदस्यों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। इस निमित्त उन्हें सोसायटी से ट्रस्ट के नाम रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।
(ग) प्रदेश में आवास विकास परिषद अथवा विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित अथवा संचालित किये जाने वाले विद्यालयों को सोसायटी अथवा ट्रस्ट के माध्यम से मान्यता प्रदान की जा सकती है। विद्यालय की सोसायटी यदि यह उचित समझती है कि ट्रस्ट के माध्यम से विद्यालय को संचालित करने में सुविधा होगी तो सोसाइटी की आम सभा के 3/4 सदस्यों की लिखित सहमति से सोसायटी को ट्रस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। इस निमित्त उन्हें	(ग) प्रदेश में आवास विकास परिषद अथवा विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित अथवा संचालित किये जाने वाले विद्यालयों को सोसायटी अथवा ट्रस्ट के माध्यम से मान्यता प्रदान की जा सकती है। विद्यालय की सोसायटी यदि यह उचित समझती है कि ट्रस्ट के माध्यम से विद्यालय को संचालित करने में सुविधा होगी तो सोसाइटी की आम सभा के 3/4 सदस्यों की लिखित सहमति से सोसायटी को ट्रस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। इस निमित्त

सोसायटी से ट्रस्ट के नाम भू खण्ड का दुबारा रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।	उन्हें सोसायटी से ट्रस्ट के नाम भू खण्ड का दुबारा रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।
(घ) नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा अन्य शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक मशीन तथा संस्था के प्रत्येक कक्ष में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाना अनिवार्य होगा जिसका प्रमाण पत्र स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा पृथक से दिया जायेगा।	(घ) ——————————
(7) प्राभूत कोष तथा सुरक्षित कोष यथानिर्दिष्ट जमा एवं बन्धक होने का प्रमाण।	(7) प्राभूत कोष तथा सुरक्षित कोष यथानिर्दिष्ट जमा एवं बन्धक होने का प्रमाण।
(8) प्रत्येक कक्षा अथवा कक्षा के खण्ड में छात्रों की संख्या।	**(8)** विखण्डित।
(9) संस्था के भवन का फोटो जो चारों दिशाओं से लिया गया हो।	(9) संस्था के भवन का फोटो जो चारों दिशाओं से लिया गया हो।
(10) मानक के अनुसार साज–सज्जा, उपकरण तथा पुस्तकालय की व्यवस्था।	(10) मानक के अनुसार साज–सज्जा, उपकरण तथा पुस्तकालय की व्यवस्था।
(11) मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था के पास भवन के चारों ओर चहारदीवारी होना आवश्यक होगा	(11) मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था के पास भवन के चारों ओर चहारदीवारी होना आवश्यक होगा
(12) मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7 कक के प्रावधानों को पूर्णतया अंगीकार करने तथा विद्यालय में पठन–पाठन हेतु शिक्षण की व्यवस्था स्वयं करने का प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	**(12)** विद्यालय संचालन हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय भार निजी स्त्रोतों से वहन करने का प्रबंध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(13) संस्थाओं को हाईस्कूल नवीन के साथ इण्टरमीडिएट नवीन मान्यता प्रदान की जायेगी जिसमें संस्था को वर्गवार इण्टर नवीन अथवा वन टाइम वर्ग की शर्तों को पूर्ण करने के आधार पर ही एक साथ प्रदान की जायेंगी।	**(13)** विखण्डित।
(14) निरीक्षक नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था का स्थलीय निरीक्षण करेगा तथा निरीक्षण के समय विद्यालय भवन के चारों दिशाओं के सम्मुख खड़े होकर फोटों खिंचवायेगा, जिसकी प्रति निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न की जायेगी। निरीक्षण के समय संस्था की चहारदीवारी की फोटो भी दी जाय।	**(14)** निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण के समय विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, बाउण्ड्री वाल, पुस्तकालय आदि की वीडियो ग्राफी की जाएगी जिसे परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तथा पेनड्राइव में संरक्षित कर निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न की जाएगी।
(15) संस्था के प्रबंधक द्वारा आवेदन–पत्र के साथ निम्नांकित प्रारूप में दस रूपये के स्टैम्प पेपर पर एक शपथ–पत्र दिया जाना होगा– मैं (पूरा नाम) .... आत्मज .... प्रबन्धक विद्यालय का नाम .... शपथ पूर्वक प्रमाणित करता हूं कि संस्था को आवेदित .... की मान्यता प्रदान करने हेतु मेरे द्वारा जो भी साक्ष्य/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये गये है, वे सभी सत्य है। संस्था का प्रयोग	**(15)** संस्था के प्रबंधक द्वारा आवेदन–पत्र के साथ दिये गये प्रारूप परिशिष्ट–'क' में सौ रूपये के स्टैम्प पेपर पर एक शपथ–पत्र दिया जाना होगा।

छात्रों के पठन-- पाठन के लिए ही किया जायेगा। मान्यता प्राप्त होने पर विभाग/परिषद् के निर्देशों/विनियमों का पालन किया जायेगा। आवेदित वर्ग/विषय की कक्षायें मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही संचालित किये जायेगें तथा भवन/भूमि का परिवर्तन कदापि नहीं किया जायेगा। आवदेन-पत्र के साथ संलग्नकों अथवा आवेदन-पत्र में अंकित विवरण/साक्ष्य के असत्य पाये जाने पर परिषद्/शासन द्वारा प्रदत्त की गई मान्यता को प्रत्याहरित किया जा सकता है तथा मेरे विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो विधिक कार्यवाही की जायेगी, मुझे मान्य होगी।

(ह0) प्रबन्धक

संस्था का पूरा नाम तथा पता

(16) मान्यता आवेदन-पत्र में संस्था द्वारा जिन अभ्यर्थियों के पठन-पाठन के लिए मान्यता आवेदित हो का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा संस्था में उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया जायेगा जिन अभ्यर्थियों के अध्ययन/अध्यापन के लिए मान्यता प्राप्त हो गई। प्रदत्त मान्यता से इतर अभ्यर्थियों का संस्था में प्रवेश अनियमित होगा तथा संस्था के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही निरीक्षण अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(17) संस्था को इण्टरमीडिएट स्तर की मान्यता सीधे नहीं दी जायेगी।

(18) (अ) संस्थाओं को हाईस्कूल की नवीन मान्यता वन टाइम निम्नवत् प्रदान की जायेगी:-

(क) जूनियर स्तर पर स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को हाईस्कूल की वनटाइम नवीन मान्यता प्रदान की जायेगी,जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 के प्रावधानों के अधीन होगी।

(ख) परिषद द्वारा संस्थाओं को सीधे हाईस्कूल की नवीन मान्यता कक्षा-6 से कक्षा-10 तक प्रदान की जायेगी तथा यह विद्यालय इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 के प्रावधानों के अधीन हाईस्कूल का भाग माने जायेंगे। ऐसे विद्यालयों में जूनियर कक्षाओं(कक्षा-6 से 8 तक) के लिये कक्षा-कक्ष एवं एक जूनियर प्रयोगशाला का होना अनिवार्य होगा।

(ग) माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाईस्कूल कक्षा-6 से 10 तक मान्यता प्राप्त एवं संचालित विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा अधिनियम,1972 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(16) मान्यता आवेदन-पत्र में संस्था द्वारा जिन अभ्यर्थियों के पठन-पाठन के लिए मान्यता आवेदित हो का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा संस्था में उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया जायेगा जिन अभ्यर्थियों के अध्ययन/अध्यापन के लिए मान्यता प्राप्त हो गई। प्रदत्त मान्यता से इतर अभ्यर्थियों का संस्था में प्रवेश अनियमित होगा तथा संस्था के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही निरीक्षण अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(17) संस्था को इण्टरमीडिएट स्तर की मान्यता सीधे नहीं दी जायेगी।

(18) **(अ)** नवीन मान्यता निम्नवत् प्रदान की जायेगी:-

(क) जूनियर स्तर पर स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को हाईस्कूल की वनटाइम नवीन मान्यता प्रदान की जायेगी,जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 के प्रावधानों के अधीन होगी।

(ख) परिषद द्वारा संस्थाओं को सीधे हाईस्कूल की नवीन मान्यता कक्षा-6 से कक्षा-10 तक प्रदान की जायेगी तथा यह विद्यालय इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 के प्रावधानों के अधीन हाईस्कूल का भाग माने जायेंगे। ऐसे विद्यालयों में जूनियर कक्षाओं(कक्षा-6 से 8 तक) के लिये कक्षा-कक्ष एवं एक जूनियर प्रयोगशाला का होना अनिवार्य होगा।

(ग) माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाईस्कूल कक्षा-6 से 10 तक मान्यता प्राप्त एवं संचालित विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा अधिनियम,1972 के प्रावधान लागू

	नहीं होंगे।
(घ) वर्ष–1991 के उपरान्त जिन संस्थाओं को सीधे हाईस्कूल (कक्षा–9–10) की मान्यता परिषद द्वारा प्रदान की गयी है,उन विद्यालयों में जूनियर कक्षाओं के संचालन हेतु लगे प्रतिबन्ध को समाप्त समझा जाय।	(घ) वर्ष–1991 के उपरान्त जिन संस्थाओं को सीधे हाईस्कूल (कक्षा–9–10) की मान्यता परिषद द्वारा प्रदान की गयी है,उन विद्यालयों में जूनियर कक्षाओं के संचालन हेतु लगे प्रतिबन्ध को समाप्त समझा जाय।
(ङ) पूर्व में परिषद द्वारा सीधे हाईस्कूल की नवीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को जूनियर हाईस्कूल(कक्षा–6 से 8 तक) की कक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त करनी आवश्यक होगी,जिसकी सूचना परिषद में देनी अनिवार्य होगी। ऐसे विद्यालयों में जूनियर स्तर तक (कक्षा–6 से 8) के मान्य छात्र संख्या के अनुसार कक्षा–कक्ष एवं जूनियर स्तर के प्रयोगशाला का होना अनिवार्य होगा किन्तु ऐसे विद्यालयों में प्राइमरी कक्षायें मान्य एवं संचालित नहीं होगी।	(ङ) पूर्व में परिषद द्वारा सीधे हाईस्कूल की नवीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को जूनियर हाईस्कूल(कक्षा–6 से 8 तक) की कक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त करनी आवश्यक होगी,जिसकी सूचना परिषद में देनी अनिवार्य होगी। ऐसे विद्यालयों में जूनियर स्तर तक (कक्षा–6 से 8) के मान्य छात्र संख्या के अनुसार कक्षा–कक्ष एवं जूनियर स्तर के प्रयोगशाला का होना अनिवार्य होगा किन्तु ऐसे विद्यालयों में प्राइमरी कक्षायें मान्य एवं संचालित नहीं होगी।
(ब) इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता सर्वप्रथम दस विषयों (अनिवार्य विषय हिन्दी सहित) में प्रदान की जायेगी। इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु शर्ते पूर्ण करने की दशा में एक या इससे अधिक वर्गो में एक साथ मान्यता प्रदान की जा सकती है।	**(ब) विखण्डित।**
(19) विद्यालय को एक बार में इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता उन समस्त वर्गो में दी जा सकती है,जिनके लिए वह अपेक्षित शर्तो की पूर्ति करता हों।	(19) विद्यालय को एक बार में इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता उन समस्त वर्गो में दी जा सकती है,जिनके लिए वह अपेक्षित शर्तो की पूर्ति करता हों।
(20) जिला विद्यालय निरीक्षक 31 मई तक आनलाइन प्राप्त समस्त मान्यता आवेदन–पत्रों पर अपनी निरीक्षण आख्या परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को आनलाइन तथा (Hard copy) उसी वर्ष की 20 अगस्त तक प्राप्त करायेंगे। (अ) परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के 30 नवम्बर तक मान्यता के समस्त प्रकरणों का निस्तारण प्रत्येक दशा में करा लिया जायेगा।	(20) जिला विद्यालय निरीक्षक 31 मई तक आनलाइन प्राप्त समस्त मान्यता आवेदन–पत्रों पर अपनी निरीक्षण आख्या परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को आनलाइन तथा (Hard copy) उसी वर्ष की 20 अगस्त तक प्राप्त करायेंगे। (अ) परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के 30 नवम्बर तक मान्यता के समस्त प्रकरणों का निस्तारण प्रत्येक दशा में करा लिया जायेगा।
(21) जिन संस्थाओं को परिषद्/शासन द्वारा सशर्त मान्यता (प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ) प्रदान की गई है, ऐसी संस्थाओं द्वारा अगली कक्षाओं/वर्ग/विषय के मान्यता आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा,जब तक शासन/परिषद् द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों की पूर्ति न कर दी गयी हो।	(21) जिन संस्थाओं को परिषद्/शासन द्वारा सशर्त मान्यता (प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ) प्रदान की गई है, ऐसी संस्थाओं द्वारा अगली कक्षाओं/वर्ग/विषय के मान्यता आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा,जब तक शासन/परिषद् द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों की पूर्ति न कर दी गयी हो।

(22) संस्था मान्यता आवेदन–पत्र के संबंध में निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांगी गई समस्त सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत करेगी।

(23) उन विद्यालयों की मान्यता के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा, जहॉ शासकीय अनुदान का दुरूपयोग किया जा रहा हो, अनुशासन हीनता होने की कुख्याति हो तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना की जाती हो।

(24) हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट (नवीन अथवा वर्ग अथवा विषयों) कक्षाओं की मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं को अन्य शर्तो के साथ–साथ निम्नांकित शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा,जिसका उल्लेख निरीक्षण अधिकारी अपनी निरीक्षण आख्या में विशेष रूप से करेंगे :–

(क) विद्यालय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराया जाय। सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।

(ख) विद्यालय में आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जाय। सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।

(ग) विद्यालयों में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखे जाय। यदि शैक्षिकदृष्टि से इन्हें रखा जाना अनिवार्य हो तो इन्हें सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(घ) अग्निशमन उपकरणों तथा सुरक्षा उपायों से विद्यालय स्टाफ को अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाय। सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।

(ड़) निरीक्षण अधिकारी द्वारा अग्निशमन यंत्र तथा भवन की दृढ़ता एवं सुरक्षा उपायों का प्रमाण–पत्र केवल समुचित जॉच के उपरान्त ही दिया जाय। दोषी पाये गये निरीक्षण अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी।

(22) संस्था मान्यता आवेदन–पत्र के संबंध में निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांगी गई समस्त सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत करेगी।

(23) उन विद्यालयों की मान्यता के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा, जहॉ शासकीय अनुदान का दुरूपयोग किया जा रहा हो, अनुशासन हीनता होने की कुख्याति हो तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना की जाती हो।

(24) हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट (नवीन अथवा वर्ग अथवा विषयों) कक्षाओं की मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं को अन्य शर्तो के साथ–साथ निम्नांकित शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा,जिसका उल्लेख निरीक्षण अधिकारी अपनी निरीक्षण आख्या में विशेष रूप से करेंगे :–

(क) विद्यालय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 यथासंशोधित नवीनतम सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराया जाय। सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।

(ख) विद्यालय में आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जाय। सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।

(ग) विद्यालयों में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखे जाय। यदि शैक्षिकदृष्टि से इन्हें रखा जाना अनिवार्य हो तो इन्हें सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(घ) अग्निशमन उपकरणों तथा सुरक्षा उपायों से विद्यालय स्टाफ को अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाय। सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।

(ड़) निरीक्षण अधिकारी द्वारा अग्निशमन यंत्र तथा भवन की दृढ़ता एवं सुरक्षा उपायों का प्रमाण–पत्र केवल समुचित जॉच के उपरान्त ही दिया जाय। दोषी पाये गये निरीक्षण अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी।

(च) <u>पेयजल की व्यवस्था</u>–

- विद्यालय में स्वच्छ पेयजल हेतु सबमर्सिबल, हैण्डपम्प (इण्डिया मार्का–2), आर0ओ0, पाइप पेयजल, हैण्डवाश प्लेटफार्म एवं ओवरहेड टैंक की व्यवस्था की जाए।
- दिव्यांगों हेतु मानक के अनुसार सुविधाजनक पेयजल की व्यवस्था
- विभिन्न आयु वर्ग के बच्चो की लम्बाई की विभिन्नता के दृष्टिगत अलग–अलग ऊचाई के प्लेटफार्म की व्यवस्था की जाय।

6– कोई अन्य सूचना जो परिषद् द्वारा आवेदन–पत्र के सम्बन्ध में मॉगी जाय,संस्था निरीक्षण प्राधिकारी के माध्यम से परिषद् को प्रस्तुत करेगी।

7– निरीक्षक अपनी आख्या में संस्था को मान्यता दी जाय अथवा नहीं,का स्पष्ट उल्लेख करें। साथ ही आख्या में यह भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी क्षेत्र अथवा टाउन एरिया का है। निरीक्षण अधिकारी आख्या की प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगे।

8– संस्थाओं को मान्यता हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनों माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति के आधार पर शिक्षण हेतु प्रदान की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भी हिन्दी माध्यम से इतर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण हेतु कक्षा कक्ष एवं योग्य अध्यापकों की उपलब्धता के आधार पर सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है।

9– परिषदीय परीक्षाओं के प्रयोजन हेतु विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्ते होगीः–

(अ) हाईस्कूल नवीन मान्यता वनटाइम।

(क) **<u>अनिवार्य शर्तें</u>**–

(1) <u>पंजीकरण</u>–समिति का पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।

<u>शौचालय की व्यवस्था</u>–

- छात्र एवं छात्राओं हेतु पृथक–पृथक सायनेज सहित सुरक्षित शौचालयों की व्यवस्था की जाए। साथ ही बालिकाओं के लिए सेनेटरी पैड एवं इंसीनिरेटर की व्यवस्था किया जाना होगा।
- दिव्यांगों हेतु भूतल पर–पृथक शौचालय, हैण्ड रेल, रैम्प रेलिंग सहित, साईनेज एवं अन्य निर्धारित मानक के अनुसार,
- 150 बालक–बालिकाओं के सापेक्ष न्यूनतम दो–दो शौचालय एवं छात्र संख्या में वृद्धि होने पर शौचालयों की संख्या इसी अनुपात में बढ़ायी जाएगी।

(छ) विद्यालय परिसर के ऊपर हाईटेंशन विद्युत तार नहीं होना चाहिए।

(ज) विद्यालय में विद्युत/सौर ऊर्जा के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंव जल–मल निकासी की व्यवस्था की जाए।

(झ) विद्यालय में एक मुख्य गेट एवं आकस्मिक उपयोग हेतु एक गेट तथा विद्यालय का नाम लिखे जाने हेतु सायनेज की व्यवस्था की जाए।

6– कोई अन्य सूचना जो परिषद् द्वारा आवेदन–पत्र के सम्बन्ध में मॉगी जाय,संस्था निरीक्षण प्राधिकारी के माध्यम से परिषद् को प्रस्तुत करेगी।

7– निरीक्षण समिति अपनी आख्या में संस्था को मान्यता दी जाय अथवा नहीं,का स्पष्ट उल्लेख करें। साथ ही आख्या में यह भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रया शहरी क्षेत्र अथवा टाउन एरिया का है।

8– संस्थाओं को मान्यता हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनों माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति के आधार पर शिक्षण हेतु प्रदान की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भी हिन्दी माध्यम से इतर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण हेतु कक्षा कक्ष एवं योग्य अध्यापकों की उपलब्धता के आधार पर सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है।

9– परिषदीय परीक्षाओं के प्रयोजन हेतु विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्ते होगीः–

(अ) हाईस्कूल नवीन मान्यता

(क) **<u>अनिवार्य शर्तें</u>**–

(1) **<u>पंजीकरण</u>**– समिति/ट्रस्ट/ कम्पनी अधिनियम–2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (Not for Profit) का

(2) <u>प्रशासन योजना</u>– विद्यालय की प्रशासन योजना सक्षम् अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है।

(3) <u>प्रभूत कोष</u>– प्राभूत कोष के रूप में 15,000–00 रूपये केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षण अधिकारी के पद नाम में बन्धक होना अनिवार्य होगा। नये विद्यालय की मान्यता हेतु प्राभूत कोष अचल सम्पत्ति के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।

(4) <u>सुरक्षित कोष</u>– सुरक्षित कोष के रूप में 3000–00 रूपये केवल विद्यालय के नाम जमा तथा निरीक्षण अधिकारी के पदनाम में बन्धक होना अनिवार्य होगा।

(5) <u>भवन</u>–संस्था के पास भवन के लिये निम्नलिखित माप के लिन्टर्ड पक्के कक्ष होंगे–

(क) 8×6 मीटर या 48 वर्गमीटर के पांच शिक्षण कक्ष।

(ख) 6×5 मी0 या 30 वर्गमीटर के एक कक्ष वैकल्पिक विषय हेतु।

(ग) 4×3 मी0 माप के दो प्रशासकीय कक्ष।

(घ) 9×6 मी0 मीटर या 54 वर्गमीटर माप के तीन प्रयोगशाला(जूनियर,गृहविज्ञान एवं विज्ञान) कक्ष का होना अनिवार्य होगा।

(ड़) 6×5 मी0 या 30 वर्ग मीटर माप का संगीत,सिलाई,कला,कृषि तथा वाणिज्य आदि के लिये एक कामन कक्ष होना अनिवार्य है।

(च) 8×6 मी0 या 48 वर्ग मीटर माप का पुस्तकों से युक्त पुस्तकालय हेतु एक कक्ष।

<u>भूमि</u>– विद्यालय/समिति/ट्रस्ट के नाम जिस पर विद्यालय भवन बना हो, उसका क्षेत्रफल/(एरिया) निम्नवत् होगा:–

1) शहरी क्षेत्र(नगर निगम/नगरपालिका/कैन्टूनमेंट/टाउन एरिया) में न्यूनतम 650

पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।

(2) **<u>विद्यालय संचालन योजना</u>**– पंजीकृत समिति/ट्रस्ट /कम्पनी द्वारा विद्यालय संचालन योजना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) <u>प्राभूत कोष</u>– प्राभूत कोष के रूप में रूपये–5,00,000/– (पांच लाख रूपये) केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षण अधिकारी के पदनाम में बंधक होना अनिवार्य होगा। नये विद्यालय की मान्यता हेतु प्राभूत कोष अचल सम्पत्ति के रूप में स्वीकार नहीं होगा।

(4) <u>सुरक्षित कोष</u>– सुरक्षित कोष के रूप में रूपये–1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपये) केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षण अधिकारी के पदनाम में बंधक होना अनिवार्य होगा।

(5) **<u>भवन</u>**–संस्था के पास भवन के लिये निम्नलिखित माप के लिन्टर्ड पक्के कक्ष होंगे–

(क) 8×6 मीटर के दो शिक्षण कक्ष।

(ख) 6×5 मी0 का एक कक्ष वैकल्पिक विषय हेतु।

(ग) 4×3 मी0 माप के दो प्रशासकीय कक्ष।

(घ) 9×6 मी0 मीटर के दो प्रयोगशाला (गृहविज्ञान एवं विज्ञान) कक्ष का होना अनिवार्य होगा।

(ड़) 6×5 मी0 माप का संगीत,सिलाई,कला,कृषि तथा वाणिज्य आदि के लिये एक कामन कक्ष होना अनिवार्य है।

(च) 14×8 मी0 एक पुस्तकालय कक्ष ।

(छ) 9×6 मीटर की स्मार्ट क्लास हेतु एक कक्ष।

(ज) 9×6 मी0 एक कम्प्यूटर कक्ष

(झ) <u>चहारदिवारी</u>– एक पर्याप्त ऊचाँई की सतत पक्की चहारदिवारी की व्यवस्था।

<u>भूमि</u>– विद्यालय समिति/ट्रस्ट/कम्पनी अधिनियम–2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी **(Not for Profit)** के नाम जिस पर विद्यालय भवन बना हो, उसका क्षेत्रफल/(एरिया) निम्नवत् होगा:–

1) शहरी क्षेत्र(नगर निगम/नगरपालिका/ कैन्टोनमेंट/टाउन एरिया) में न्यूनतम

वर्गमीटर,जिसमें 162 वर्गमीटर क्रीड़ास्थल होगा। क्रीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है,परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो,अर्थात विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर–पार न हो।	3000 वर्गमीटर, जिसमें 1000 वर्गमीटर क्रीड़ास्थल होगा। क्रीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है,परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो,अर्थात विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर–पार न हो।
2) ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग मीटर जिसमें 648 मीटर भूमि का क्रीड़ास्थल होगा। क्रीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है,परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो,अर्थात विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर–पार न हो।	**2)** ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 6000 वर्ग मीटर जिसमें 2000 वर्ग मीटर भूमि का क्रीड़ास्थल होगा। क्रीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है,परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो,अर्थात विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर–पार न हो।
	<u>क्रीड़ास्थल</u>– एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, खो–खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैटमिंटन, लॉन टेनिस, ओपेन जिम्नेजियम एवं अन्य आउटडोर गेम्स के साथ इनडोर गेम्स तथा शारीरिक सौष्ठव की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। **टिप्पणी– विखण्डित।**
टिप्पणी–पूर्व में विद्यालयों को परिषद द्वारा मान्यता तत्समय प्रचलित जिन नियमों/विनियमों के अन्तर्गत प्रदान की गयी है,उन विद्यालयों की भूमि/क्रीड़ास्थल वर्तमान मानक के अनुरूप होने की दशा में मान्य होंगे। अर्थात् उक्त विनियम संशोधन पूर्वगामी प्रभाव से (Retrospective Effect) लागू माने जायेंगे।	
(6) **<u>आवेदन शुल्क</u>**– मान्यता हेतु निर्धारित आवदेन शुल्क का मूल कोष पत्र संलग्न होना आवश्यक होगा। **<u>नोट</u>**:– उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।	**(6)** **<u>आवेदन शुल्क</u>**– मान्यता हेतु निर्धारित आवदेन शुल्क का मूल कोष पत्र संलग्न होना आवश्यक होगा। **<u>नोट</u>**:– उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।
(ख) **<u>सामान्य शर्ते</u>**: (1) **<u>काष्ठोपकरण</u>**:– 200 सेट सज्जा होना अनिवार्य होगा तथा यह व्यवस्था जूनियर कक्षाओं के साथ होगी।	**(ख)** **<u>अन्य शर्ते</u>** : **(1)** **<u>काष्ठोपकरण</u>–** छात्र संख्या के अनुरूप 1 वर्ग मीटर की दर से प्रत्येक छात्र/छात्रा हेतु कुर्सी–मेज/डेस्क बेंच की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही साथ प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए उपयुक्त काष्ठोपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

(2) शौचालय एवं पीने के पानी के लिए हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था छात्र संख्या के अनुरूप पूर्ण होना आवश्यक है।	**(2)** <u>पेयजल की व्यवस्था</u>– • विद्यालय में स्वच्छ पेयजल हेतु सबमर्सिबल, हैण्डपम्प (इण्डिया मार्का–2), आर0ओ0, पाइप पेयजल, हैण्डवाश प्लेटफार्म एवं ओवरहेड टैंक की व्यवस्था की जाए। • दिव्यांगों हेतु मानक के अनुसार सुविधाजनक पेयजल की व्यवस्था • विभिन्न आयु वर्ग के बच्चो की लम्बाई की विभिन्नता के दृष्टिगत अलग–अलग ऊचाई के प्लेटफार्म की व्यवस्था की जाय। <u>शौचालय की व्यवस्था</u>– • विद्यालय में स्टाफ एवं छात्र–छात्राओं हेतु सायनेज सहित पृथक–पृथक शौचालयों की व्यवस्था जिसमें पाइप वाटर सप्लाई, ओवरहेड टैंक, इक्झास्ट (EXHAUST) फैन, वाश बेसिन, साबुन/हैण्डवाश की सुविधा हो।साथ ही बालिकाओं के लिए सेनेटरी पैड एवं इंसीनिरेटर की व्यवस्था किया जाना होगा। • दिव्यांगों हेतु भूतल पर–पृथक शौचालय, हैण्ड रेल, रैम्प रेलिंग सहित, साईनेज एवं अन्य निर्धारित मानक के अनुसार, • 150 बालक–बालिकाओं के सापेक्ष न्यूनतम दो–दो शौचालय एवं छात्र संख्या में वृद्धि होने पर शौचालयों की संख्या इसी अनुपात में बढ़ायी जाएगी।
(3) **<u>पुस्तकालयः</u>** – 5,000 रूपये मूल्य के जूनियर/हाईस्कूल स्तरीय पुस्तकों (पाठ्य–पुस्तकों से इतर) का होना आवश्यक होगा।	**(3)** <u>पुस्तकालय</u>– आधुनिक साज–सज्जा से युक्त, कैटलॉगिंग की सुविधा के साथ, हाईस्कूल पाठ्यपुस्तकें, महापुरूषों की जीवनी, उपन्यास, समसामयिक पत्र–पत्रिकायें (साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक), समाचार पत्र, विश्व ज्ञानकोश, शब्दकोश (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत) कथा–साहित्य, नाटक, काल्पनिक कहानी संग्रह, रिफरेन्स बुक, शोध पत्र (राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय) एवं साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धर्म–दर्शन, मनोविज्ञान आदि से सम्बंधित पुस्तकों का संग्रह तथा ई–बुक्स, ई–जनरल एवं ई–मैगज़ीन की व्यवस्था वाचनालय के साथ करनी होगी। विद्यालय स्टाफ एवं अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय में पढ़ने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाएगा।
(4) **<u>सामान्य शिक्षण सामग्री</u>**:– जूनियर कक्षाओं के साथ हाईस्कूल स्तरीय रू0 5,000 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री होना आवश्यक होगा।	**(4)** <u>सामान्य शिक्षण सामग्री</u>– श्यामपट, चॉक–डस्टर, स्मार्ट बोर्ड, मार्कर, मानचित्र, ग्लोब, चित्र, रेखा–चित्र, चार्ट, मॉडल, पोस्टर,

(5) **<u>विज्ञान शिक्षण सामग्री</u>**:– जूनियर कक्षाओं के साथ रू0 20,000 की वैज्ञानिक यंत्रादि / उपकरण होना आवश्यकहोगा।

(6) **<u>गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री</u>**:– रू0 10,000 रू0 मूल्य की गृह विज्ञान सामग्री होना आवश्यक होगा।

(7) **<u>संगीत,कृषि एवं सिलाई विषय के उपकरण</u>**:– रू0 5,000 मूल्य के उपकरण होने आवश्यक होगें।

(8) **<u>छात्र संख्या</u>**:– जूनियर स्तर पर स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा–6,7,8 में कम से कम 150 छात्र होने आवश्यक होगें(बालिका विद्यालयों में यह संख्या 85 से कम न होगी)।

<u>टिप्पणी</u>:

(1) पुस्तकालय, सामान्य शिक्षण सामग्री, विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि एवं सिलाई विषय हेतु सामग्री / उपकरण का सत्यापन निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा अथवा इतनी ही धनराशि अलग–अलग मद में केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पदनाम में बन्धक होने पर ही स्वीकार होगा।

(2) निरीक्षक द्वारा विद्यालय के निरीक्षणोपरान्त लगाये गये समस्त प्रमाण निरीक्षक द्वारा स्वयं प्रमाणित होना अनिवार्य होगा।

बुलेटिन बोर्ड, विषयवार टी0एल0एम एवं अन्य सामान्य शिक्षण सामग्री का छात्र संख्या के अनुरूप भौतिक रूप से सतत् व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

(5) <u>विज्ञान शिक्षण सामग्री</u>–विज्ञान विषय (भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान) के पाठ्यक्रम के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोगशाला उपकरण / यंत्रादि की भौतिक रूप से उपलब्धता छात्र संख्या के अनुरूप की जाएगी।

(6) <u>गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री</u>– गृह विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रयोगशाला उपकरण / यंत्रादि की भौतिक रूप से उपलब्धता छात्र संख्या के अनुरूप की जाएगी।

(7) संगीत, कृषि एवं सिलाई विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार निर्दिष्ट आवश्यक उपकरण एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाएगी।

(8) **<u>छात्र संख्या</u>**:– जूनियर स्तर पर स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा–6,7,8 में कम से कम 150 छात्र होने आवश्यक होगें(बालिका विद्यालयों में यह संख्या 85 से कम न होगी)।

<u>टिप्पणी</u>:

1– पुस्तकालय, सामान्य शिक्षण सामग्री, विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि एवं सिलाई विषय हेतु सामग्री / उपकरण का भौतिक सत्यापन निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2–निरीक्षक द्वारा विद्यालय के निरीक्षणोपरान्त लगाये गये समस्त प्रमाण निरीक्षक द्वारा स्वयं प्रमाणित होना अनिवार्य होगा।

(9) नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा अन्य शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक मशीन तथा संस्था के प्रत्येक कक्ष के दोनों ओर वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा, डी0वी0आर0, राउटर, हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन, वाई–फाई लगवाये जाने के साथ ही विद्यालय की वेबसाइट विकसित कराते हुए संस्था का जियो लोकेशन (अक्षांश–देशांतर) भी दर्ज कराना अनिवार्य होगा।

कम्प्यूटर कक्ष हेतु 25 कम्प्यूटर, स्मार्ट क्लास हेतु आडियो विडियो प्रोजेक्टर / बड़े स्क्रीन की एल0ई0डी0 टी0वी0 की व्यवस्था करनी होगी।

(10) प्रत्येक विद्यालय में कार्यालय उपयोग हेतु कम से कम दो कम्प्यूटर सेट तथा उनसे सम्बन्धित आवश्यक उपकरण एवं दक्ष कम्प्यूटर आपरेटर की व्यवस्था की जाएगी।

(11) विद्यालय में स्वास्थ्य–स्वच्छता, सौन्दर्यीकरण, बागवानी, वाहन स्टैण्ड, पर्यावरण सुरक्षा की

व्यवस्था की जाए।

(12) दिव्यांगों हेतु बाधारहित पहुँच एवं अन्य प्राविधानित सुरक्षा मानकों का समावेश, दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 के अनुरूप किया जाए।

(13) विद्यालय भवन का मानचित्र सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराते हुए विद्यालय भवन के निर्माण में सुरक्षा मानकों यथा– भूकंपरोधी, अग्नि सुरक्षा, दीमक रोधी, विद्युत सम्बंधी कन्शील्ड वायरिंग एवं आवश्यकतानुसार प्लग पायन्ट्स, स्वच्छ प्राकृतिक हवा एवं रोशनी का विशेष ध्यान रखते हुए पर्यावरण सुरक्षा के मानकों के अनुरूप किया जाए।

विद्यालय में विद्युत/सौर ऊर्जा के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं जल–मल निकासी की व्यवस्था की जाए।

(ब) इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग(केवल दस विषयों में) तथा अतिरिक्त विषय हेतु

(क) **<u>अनिवार्य शर्तेः–</u>**

(1) पंजीकरण समिति सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

(2) हाईस्कूल की मान्यता की अनिवार्य शर्तो के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तो का पूर्ण होना आवश्यक होगा।

भवनः–

(क) प्रत्येक वर्ग के लिए (कक्षा 11 व 12 के लिए) 8 मी0×6 मी0 या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष होने आवश्यक होगें। बालिका विद्यालयों के लिए कक्षा कक्षों की माप 8 मी0 × 5 मी0 या 40 वर्ग मीटर मान्य होगी।

(ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर का एक वैकल्पिक कक्ष होना आवश्यक होगा।

(ग) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप की प्रयोगशाला प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय हेतु होना आवश्यक होगा।

(घ) कृषि वर्ग हेतु 1 एकड़ भूमि केवल विद्यालय के नाम होना अनिवार्य होगा।

(ब) इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग तथा अतिरिक्त विषय हेतु

(क) **<u>अनिवार्य शर्तें</u>–**

(1) <u>पंजीकरण</u>– समिति/ट्रस्ट/ कम्पनी अधिनियम–2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (Not for Profit) का पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।

(2) हाईस्कूल की मान्यता की अनिवार्य शर्तो के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तो का पूर्ण होना आवश्यक होगा।

भवनः–

(क) 8×6 मी0 के दो शिक्षण कक्ष

(ख) 6×5 मीटर का एक वैकल्पिक कक्ष।

(ग) प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय हेतु 9×6 मीटर की एक–एक प्रयोगशाला

(घ) कृषि वर्ग हेतु 1 एकड़ भूमि केवल विद्यालय के नाम होना अनिवार्य होगा।

भूमि की व्यवस्था 30 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज डीड पर भी की जा सकती है। प्रतिबन्ध यह है कि लीज डीड विद्यालय संचालन के लिए होगी। इसका उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए नही किया

(ङ) विज्ञान एवं कृषि वर्ग हेतु प्रयोगशालायें कॉमन होगीं।

(3) प्राभूत कोष एवं सुरक्षित कोषः– इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु प्राभूत कोष 5,000/–तथा सुरक्षित कोष 2,000 /– (हाईस्कूल के अतिरिक्त) विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पद नाम में बन्धक होना अनिवार्य है

(4) विखण्डित।

(ख) सामान्य शर्तें:

(1) छात्र संख्या– इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु हाईस्कूल के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र संख्या एवं उप विभाग का विवरण आवश्यक होगा किन्तु यह प्रतिबंध हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की एक साथ मान्यता हेतु आवेदित प्रकरणों पर लागू नहीं होगा।

(2) शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक होगा।

(3) **काष्ठोपकरण**– कक्षा 11 व 12 के प्रत्येक वर्ग के लिए 80 सेट सज्जा हाईस्कूल के छात्र संख्या के अतिरिक्त होना चाहिए। वैज्ञानिक वर्ग के प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए तीन–तीन प्रयोगात्मक मेजें होना आवश्यक है।

(4) **पुस्तकालय**–इण्टरमीडिएट स्तर के 5,000/– मूल्य की पुस्तके (पाठ्य–पुस्तकों से इतर) प्रत्येक वर्ग के लिए होना आवश्यक होगा।

(5) **सामान्य शिक्षण सामग्री**– इण्टरमीडिएट स्तर हेतु 2,000/– रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।

(6) **विज्ञान उपकरण**– इण्टरमीडिएट वैज्ञानिक वर्ग हेतु 25,000/– रू0 मूल्य के विज्ञान उपकरण होना आवश्यक होगा।

(7) **गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री**– इण्टरमीडिएट स्तर हेतु 5,000/– रू0 मूल्य की सामग्री होना आवश्यक होगा।

जायेगा। संस्थाधिकारी द्वारा लीज डीड समाप्त होने से पूर्व उसका नवीनीकरण निर्धारित अवधि के लिए पुनः कराया जायेगा। लीज डीड समाप्त होने की दशा में संस्था की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ङ) विज्ञान एवं कृषि वर्ग हेतु प्रयोगशालायें कॉमन होगीं।

(3) प्राभूत कोष एवं सुरक्षित कोषः– इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु प्राभूत कोष रूपये–2,00,000/– तथा सुरक्षित कोष रूपये 1,00,000/– (हाईस्कूल के अतिरिक्त) विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पद नाम में बन्धक होना अनिवार्य है।

(ख) अन्य शर्तें :

(1) छात्र संख्या– इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु हाईस्कूल के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र संख्या एवं उप विभाग का विवरण आवश्यक होगा किन्तु यह प्रतिबंध हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की एक साथ मान्यता हेतु आवेदित प्रकरणों पर लागू नहीं होगा।

(2) शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक होगा।

(3) **काष्ठोपकरण**– छात्र संख्या के अनुरूप 1 वर्ग मीटर की दर से प्रत्येक छात्र/छात्रा हेतु कुर्सी–मेज/डेस्क बेंच की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही साथ प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए उपयुक्त काष्ठोपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

(4) हाईस्कूल स्तर पर स्थापित/संचालित पुस्तकालय में इण्टरमीडिएट स्तरीय पाठ्यपुस्तकें एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बंधित पुस्तकों की व्यवस्था करनी होगी।

(5) सामान्य शिक्षण सामग्री– श्यामपट, चॉक–डस्टर, स्मार्ट बोर्ड, मार्कर, मानचित्र, ग्लोब, चित्र, रेखा–चित्र, चार्ट, मॉडल, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड, विषयवार टी0एल0एम0 एवं अन्य सामान्य शिक्षण सामग्री का छात्र संख्या के अनुरूप भौतिक रूप से सतत् व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

(6) विज्ञान शिक्षण सामग्री– भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोगशाला उपकरण/यंत्रादि की भौतिक रूप से उपलब्धता छात्र संख्या के अनुरूप की जाएगी।

(7) गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री– गृह विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रयोगशाला उपकरण/यंत्रादि की भौतिक रूप से

(8) **कृषि उपकरण–** इण्टरमीडिएट कृषि हेतु 10,000/– रू0 के उपकरण/कृषि यंत्रादि होने आवश्यक होगे।

(9) कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी।

नोटः– इण्टरमीडिएट अतिरिक्त विषय/विषयों में मान्यता हेतु भूमि के स्वामित्व,प्राभूत एवं सुरक्षित कोष के साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

(स) इण्टरमीडिएट नवीन (वन टाइम) हेतु (मानविकी, वैज्ञानिक,वाणिज्य एवं कृषि वर्ग)

मानविकी वर्ग

अनिवार्य शर्ते–

(1) **पंजीकरण**– समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत् पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

(2) हाईस्कूल की मान्यता की अनिवार्य शर्तो के साथ–साथ निम्नांकित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगाः–

भवनः–

(क) 8×6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 6×6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होगें।

उपलब्धता छात्र संख्या के अनुरूप की जाएगी।

(8) कृषि उपकरण– इण्टरमीडिएट कृषि वर्ग हेतु विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार निर्दिष्ट कृषि एवं पशुशाला सम्बंधी उपकरण/कृषि यंत्रादि की भौतिक रूप से उपलब्धता छात्र संख्या के अनुरूप की जाएगी।

(9) कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी।

नोटः– इण्टरमीडिएट अतिरिक्त विषय/विषयों में मान्यता हेतु भूमि के स्वामित्व, प्राभूत एवं सुरक्षित कोष के साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

(स) 9(स) निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः–
इण्टरमीडिएट नवीन (वन टाइम) हेतु (मानविकी, वैज्ञानिक,वाणिज्य एवं कृषि वर्ग)

निम्नलिखित तालिका के अनुसार/विवरण के अनुसार शिक्षण कक्ष, वैकल्पिक कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, प्रयोगात्मक कक्ष एवं कृषि कक्ष मान्य होंगे –

कक्ष	**माप (मीटर में)**	**मानविकी वर्ग (कक्षों की सं0)**	**वैज्ञानिक वर्ग (कक्षों की सं0)**	**वाणिज्य वर्ग (कक्षों की सं0)**	**कृषि वर्ग (कक्षों की सं0)**
शिक्षण कक्ष	8×6	2	2	2	2
वैकल्पिक कक्ष	6×5	एक वैकल्पिक कक्ष (सभी वर्गों के लिए मान्य होगा)			
कम्प्यूटर कक्ष	9×6	एक कम्प्यूटर कक्ष (मानविकी, वैज्ञानिक, वाणिज्य वर्ग के लिए मान्य होगा)			–
प्रयोगशाला	9×6	प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय के अनुसार एक–एक प्रयोगशाला	प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय के अनुसार एक–एक प्रयोगशाला	–	3
कृषि कक्ष	8×6	–	–	–	1

नोट–

(1) किसी संस्था द्वारा कृषि वर्ग की मान्यता प्राप्त करने हेतु 3 प्रयोगशाला होना अनिवार्य है परन्तु यदि संस्था को विज्ञान वर्ग की मान्यता पूर्व में प्राप्त है, उस स्थिति में विज्ञान वर्ग हेतु स्थापित प्रयोगशालाकृषि वर्ग हेतु भी मान्य होगी।

हाईस्कूल स्तर पर उपलब्ध पुस्तकालय कक्ष, प्रशासकीय कक्ष, कला/संगीत/नृत्य कक्ष एंव कम्प्यूटर कक्ष इण्टरमीडिएट स्तर पर मान्य होंगे।

(2) इण्टरमीडिएट नवीन मान्यता हेतु विनियम 9(ब) में

(ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष।

(ग) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक नृत्य कला कक्ष।

(घ) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप का गृहविज्ञान, भूगोल, सैन्यविज्ञान, काष्ठ शिल्प, ग्रन्थशिल्प तथा चर्मशिल्प आदि के लिए एक प्रयोगशाला अलग–अलग होना आवश्यक होगा।

(ङ) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप का एक कम्प्यूटर कक्ष जिसमें 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित विद्युत व्यवस्था जनरेटर सहित होना अनिवार्य है। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी।

(3) **<u>प्राभूत कोष,सुरक्षित कोष,छात्र संख्या के प्रतिबन्ध</u>**– इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तोके अनुसार मान्य होगें।
नोटः– उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

<u>सामान्य शर्तेः</u>

(1) **<u>काष्ठोपकरण</u>**– कक्षा 11 व 12 के प्रत्येक वर्ग के लिए 80 सेट सज्जा हाईस्कूल के छात्र संख्या के अतिरिक्त होना चाहिए।

(2) शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक हैं।

(3) **<u>पुस्तकालय</u>**– इण्टरमीडिएट स्तर के 5,000/– रू0 मूल्य की पुस्तकें (पाठ्य पुस्तकों से इतर) होना आवश्यक होगा।

(4) **<u>सामान्य शिक्षण सामग्री</u>**– 2,000/– रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।

(5) गृहविज्ञान, भूगोल, सैन्यविज्ञान, काष्ठशिल्प, ग्रन्थशिल्प तथा चर्मशिल्प– प्रत्येक विषय के लिए 5,000/– रू0 मूल्य की शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।

<u>वैज्ञानिक वर्ग</u>

<u>अनिवार्य शर्तेः–</u>

(1) **<u>पंजीकरण</u>**– समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

(2) हाईस्कूल की मान्यता की शर्तो के साथ–साथ निम्नांकित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगाः–
<u>भवनः</u>–

वर्णित अनिवार्य शर्ते एवं अन्य शर्ते इण्टरमीडिएट नवीन (वन टाइम) (मानविकी, वैज्ञानिक, वाणिज्य एवं कृषि वर्ग हेतु) में भी मान्य होंगी।

(क) 8×6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 6×6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होगें।

(ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष।

(ग) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप की भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कम्प्यूटर, विद्युत अभियंत्रण के तत्व/यांत्रिक अभियंत्रण के तत्व आदि के लिए अलग-अलग प्रयोगशालायें होना अनिवार्य होगा। साथ ही 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित व्यवस्था जनरेटर सहित होना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी। प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तो के अनुसार मान्य होगें।

नोटः- उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

सामान्य शर्तें:

(1) काष्ठोपकरण,पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री हाईस्कूल के अतिरिक्त मानविकी वर्ग के अनुसार मान्य होगें।

(2) शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।

(3) विज्ञान उपकरण हेतु 25,000/- रूपये मूल्य का वैज्ञानिक उपकरण होना आवश्यक होगा।

(4) प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए तीन प्रयोगात्मक मेजे होना आवश्यक होगी।

वाणिज्य वर्गः-

अनिवार्य शर्तें:

(1) **पंजीकरणः**- समिति, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

(2) हाईस्कूल की मान्यता की शर्तो के साथ-साथ निम्नांकित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगाः-

भवनः

(क) 8×6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 6×6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होगें।

(ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष।

(ग) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर का एक कम्प्यूटर कक्ष अनिवार्य होगा। साथ ही 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित विद्युत व्यवस्था जनरेटर सहित होना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्तें भी पूरी करनी होगी।

(3) प्राभूत कोष,सुरक्षित कोष, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तो के अनुसार मान्य होगें।

नोटः– उपर्युक्त अनिवार्य शर्तों में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

सामान्य शर्तेः

(1) काष्ठोपकरण,पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री हाईस्कूल के अतिरिक्त मानविकी वर्ग के अनुसार मान्य होगें।

(2) शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक हैं।

कृषि वर्गः

अनिवार्य शर्तेः

(1) **पंजीकरणः** समिति, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

(2) हाईस्कूल की मान्यता की शर्तो के साथ–साथ निम्नांकित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगाः–

भवनः

(क) 8×6 मीटर या 48 मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 6×6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होगें।

(ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष।

(ग) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप की प्रयोगशाला प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय हेतु।

(घ) 8×6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप का एक कृषि कक्ष।

(ड़) सिंचाई के साधनों से युक्त कृषि योग्य उपजाऊ भूमि न्यूनतम एक एकड़।

(3) प्राभूत कोष,सुरक्षित कोष,परीक्षाफल,छात्र संख्या के प्रतिबन्ध इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तो के अनुसार मान्य होगें।

नोटः–उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

सामान्य शर्तें:

(1) काष्ठोपकरण,पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री हाईस्कूल के अतिरिक्त मानविकी वर्ग के अनुसार मान्य होगें।

(2) शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है ।

(3) कृषि के उपकरण एवं यंत्रादि हेतु 10,000/– तथा वैज्ञानिक सामग्री एवं पशुशाला आदि के लिये 2,500/– रू0 मूल्य के संसाधन होने आवश्यक होगे।

(4) प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए तीन प्रयोगात्मक मेजें होनी आवश्यक होगी।

कम्प्यूटर विषय की मान्यता हेतु मानक (हाईस्कूल/इण्टर)

(1) प्रयोगशाला में एक मशीन पर दो से ज्यादा छात्र कार्य नहीं करेगें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

मशीनों की संख्या उसी आधार पर निश्चित की जाय।

(2) प्रयोगशाला में न्यूनतम व्यवस्था अनिवार्य रूप से निम्नवत् होगीः–

(क) प्रति विद्यालय 5 कम्प्यूटर (p3) मशीन।

(ख) एक DMP(132 कालम) ।

(ग) UPS प्रति मशीन 500 VA के आधार पर होना आवश्यक है।

(घ) पाठ्यक्रम के अनुसार साफ्टवेयर की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है,जैसे–हाईस्कूल के लिए विन्डोज MS office, G.W. basic इण्टरमीडिएट के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त Tarbsc, C++

(ड़) प्रयोगशाला के लिए प्रति मशीन के लिए न्यूनतम 2.5 वर्ग मीटर का स्थान विद्यालय में होना अनिवार्य हैं। प्रयोगशाला साफ–सुथरी एवं पक्के कमरे में हो।

(च) प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त विद्युत एवं जनरेटर की व्यवस्था अनिवार्य है।

(छ) प्रति कम्प्यूटर मशीन पर कार्य करने हेतु एक समान मेज तथा दो स्टूल की आवश्यकता होगी।

कम्प्यूटर विषय की मान्यता हेतु मानक (हाईस्कूल/इण्टर)

(1) प्रयोगशाला में एक कम्प्यूटर पर दो से ज्यादा छात्र कार्य नहीं करेगें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

कम्प्यूटरों की संख्या उसी आधार पर निश्चित की जाय।

(2) प्रयोगशाला में न्यूनतम व्यवस्था अनिवार्य रूप से निम्नवत् होगीः–

(क) कम्प्यूटर विषय की मान्यता हेतु न्यूनतम 25 कम्प्यूटर (अपडेटेड वर्ज़न) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार आवश्यक अद्यतन सॉफ्वेयर।

(ख) 2 प्रिन्टर

(ग) UPS प्रति कम्प्यूटर के आधार पर होना आवश्यक है।

(घ) पाठ्यक्रम के अनुसार साफ़्टवेयर की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है।

नोट– हार्डवेयर एवं साफ़्टवेयर के अपडेटेड वर्ज़न की व्यवस्था की जाएगी।

(ड़) प्रयोगशाला के लिए प्रति कम्प्यूटर के लिए न्यूनतम 2.5 वर्ग मीटर का स्थान विद्यालय में होना अनिवार्य हैं। प्रयोगशाला साफ–सुथरी एवं पक्के कमरे में हो।

(च) प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त विद्युत एवं जनरेटर की व्यवस्था अनिवार्य है।

(छ) प्रति कम्प्यूटर पर कार्य करने हेतु एक समान मेज तथा दो स्टूल की आवश्यकता होगी।

(3) छात्र संख्या के आधार पर उपर्युक्त व्यवस्थाओं का आनुपातिक वृद्वि किया जाना चाहिए।

केवल कम्प्यूटर विषय को मान्यता के संदर्भसंस्था के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिये जाने पर कि उनके संस्था में कम्प्यूटर शिक्षा मानकीय अपेक्षानुसार दी जा रही है तथा इसकी पुष्टि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कर दी गयी हो तो ऐसी संस्थाओं की कम्प्यूटर विषय की मान्यता का मान्यता–पत्र निर्गत कर दिया जायेगा तथा इसकी सूचना मान्यता समिति की अगली बैठक में दी जायेगी। (राजाज्ञा संख्या–1160/15–7–2001–4(203)/2001 दिनांक 31 मार्च, द्वारा प्राविधानित)

10– यदि परिषद सन्तुष्ट हो कि एक संस्था मान्यता का सुपात्र है तो वह सचिव को आदेश देगी कि उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की उसके द्वारा रखी जाने वाले सूची में प्रविष्ट कर लें तथा सचिव संस्था और संबंधित निरीक्षक/निरीक्षिका को सूचित करेगा कि किन–किन विषयों में किन शर्तो पर तथा किस परीक्षा के लिए उसे मान्यता प्राप्त हुई है। मान्यता उसी तिथि से दी हुई समझी जायेगी, जिस तिथि से संस्थाधिकारी लिखित रूप में कक्षा संचालन की सूचना परिषद/निरीक्षक को देगा।

11– मान्यता प्राप्त संस्था विनियमों एवं निर्धारित शर्तो के अधीन रहते हुए निम्नांकित प्रतिबन्धों का भी अनुपालन करेगीः–

(क) परिषद द्वारा जिस तिथि से संस्था को कोई मान्यता प्रदान की जाती है,वह उस तिथि से प्रभावी मानी जायेगी जब संस्थाधिकारी कक्षा संचालन की लिखित सूचना निरीक्षक को देगा। परिषद से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही संस्थाओं द्वारा केवल मान्य वर्ग/विषय में ही छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा। संस्थाओं द्वारा अन्य किसी भी अमान्य संस्था अथवा कोचिंग संस्था के अनधिकृत छात्रों का प्रवेश लिया जाना अनियमित एवं अवैध होगा। अनधिकृत रूप से छात्रों का प्रवेश लेने वाली दोषी संस्थाओं को निम्नांकित प्रकार से दण्डित किया जा सकेगाः–

(अ) अमान्य वर्ग/विषय में प्रवेश लेने वाली संस्थाओं से आर्थिक दण्ड के रूप मे ऐंसी धनराशि वसूल की जायेगी,जो राज्य सरकार निर्धारित करे।

(ब) अनियमित एवं अनधिकृत रूप से छात्रों का प्रवेश लेने वाली संस्थाओं के विरूद्व ऐसी अन्य दण्डात्मक कार्यवाही, जिसमें मान्यता का प्रत्याहरण भी सम्मिलित होगा, भी की जा सकेगी,जिसे राज्य सरकार उचित समझे।

(स) आर्थिक दण्ड की धनराशि संस्था के प्रबंधक/प्रधानाचार्य से भू–राजस्व की भांति वसूली जायेगी।

(ख) संस्था में सभी शिक्षण कर्मी परिषद द्वारा विहित अर्हता परिषद विनियमों के अध्याय–दों के विनियम–1 के परिशिष्ट–क में विहित अर्हता के अनुसार नियुक्त होने

(3) छात्र संख्या के आधार पर उपर्युक्त व्यवस्थाओं का आनुपातिक वृद्वि किया जाना चाहिए।

केवल कम्प्यूटर विषय को मान्यता के संदर्भसंस्था के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिये जाने पर कि उनके संस्था में कम्प्यूटर शिक्षा मानकीय अपेक्षानुसार दी जा रही है तथा इसकी पुष्टि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कर दी गयी हो तो ऐसी संस्थाओं की कम्प्यूटर विषय की मान्यता का मान्यता–पत्र निर्गत कर दिया जायेगा तथा इसकी सूचना मान्यता समिति की अगली बैठक में दी जायेगी।

10– यदि परिषंद सन्तुष्ट हो कि एक संस्था मान्यता का सुपात्र है तो वह सचिव को आदेश देगी कि उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की उसके द्वारा रखी जाने वाले सूची में प्रविष्ट कर लें तथा सचिव संस्था और संबंधित निरीक्षक/निरीक्षिका को सूचित करेगा कि किन–किन विषयों में किन शर्तो पर तथा किस परीक्षा के लिए उसे मान्यता प्राप्त हुई है। मान्यता उसी तिथि से दी हुई समझी जायेगी, जिस तिथि से संस्थाधिकारी लिखित रूप में कक्षा संचालन की सूचना परिषद/निरीक्षक को देगा।

11– मान्यता प्राप्त संस्था विनियमों एवं निर्धारित शर्तो के अधीन रहते हुए निम्नांकित प्रतिबन्धों का भी अनुपालन करेगीः–

(क) परिषद द्वारा जिस तिथि से संस्था को कोई मान्यता प्रदान की जाती है,वह उस तिथि से प्रभावी मानी जायेगी जब संस्थाधिकारी कक्षा संचालन की लिखित सूचना निरीक्षक को देगा। परिषद से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही संस्थाओं द्वारा केवल मान्य वर्ग/विषय में ही छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा। संस्थाओं द्वारा अन्य किसी भी अमान्य संस्था अथवा कोचिंग संस्था के अनधिकृत छात्रों का प्रवेश लिया जाना अनियमित एवं अवैध होगा।

(ख) संस्था में सभी शिक्षण कर्मी परिषद द्वारा विहित अर्हता परिषद विनियमों के अध्याय–दो के विनियम–1 के परिशिष्ट–क में विहित अर्हताएवं राज्य सरकार द्वारा

चाहिए।	निर्दिष्ट आदेश के अनुसार नियुक्त होना चाहिए तथा समय–समय पर शिक्षकों का शिक्षण–प्रशिक्षण होना आवश्यक है। 30 अप्रैल से पूर्व अर्ह शिक्षण कर्मी की व्यवस्था विद्यालय द्वारा की जाएगी जिसको निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा रिपोर्ट परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अनर्ह शिक्षण कर्मी पाये जाने पर दण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
(ग) संस्था शिक्षा संहिता के ऐसे विनियमों का पालन करेगी जो परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू होते है तथा अधिनियम एवं विनियमों के प्राविधानों से असम्बद्ध नहीं है।	(ग) संस्था शिक्षा संहिता के ऐसे विनियमों का पालन करेगी जो परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू होते है तथा अधिनियम एवं विनियमों के प्राविधानों से असम्बद्ध नहीं है।
(घ) संस्था विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन करेगी।	(घ) संस्था विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन करेगी।
(ङ) संस्था द्वारा मान्य कक्षायें विद्यालय परिसर के अन्दर ही चलाई जायेगी।	**(ङ)** संस्था द्वारा केवल मान्य कक्षायें ही विद्यालय परिसर के अन्दर चलाई जायेगी। संस्था में अन्य कोई गैर शैक्षणिक कार्य अथवा व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जायेगी। ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें संस्था पर आर्थिक दण्ड के साथ–साथ विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित की जा सकती है।
(च) संस्था मान्य वर्ग/विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग अथवा विषय में कक्षायें संचालित नहीं करेगी और न ही ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करायेगी। केवल मान्य वर्ग/विषयों की कक्षाये ही संचालित की जायेगी।	(च) संस्था मान्य वर्ग/विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग अथवा विषय में कक्षायें संचालित नहीं करेगी और न ही ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करायेगी। केवल मान्य वर्ग/विषयों की कक्षाये ही संचालित की जायेगी।
(छ) छात्र संख्या में वृद्वि होने पर नये अनुभाग खोलने के पूर्व कक्षा–कक्ष, काष्ठोपकरण एवं अन्य शिक्षण सामाग्रियों की अपेक्षित व्यवस्था की जायेगी।	(छ) छात्र संख्या में वृद्वि होने पर नये अनुभाग खोलने के पूर्व कक्षा–कक्ष, काष्ठोपकरण एवं अन्य शिक्षण सामाग्रियों की अपेक्षित व्यवस्था की जायेगी।
(ज) संस्था परिषदीय परीक्षाओं के संचालन में (परिषद के संकलन एवं मूल्यांकन कार्य आदि सम्मिलित है) अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगी तथा परिषद/विभाग द्वारा किसी अधियाचन पर अपने शिक्षक,भवन एवं उपस्करण आदि को परिषद के अधीन प्रस्तुत करेगी तथा परिषद द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन करेगी।	(ज) संस्था परिषदीय परीक्षाओं के संचालन में (परिषद के संकलन एवं मूल्यांकन कार्य आदि सम्मिलित है) अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगी तथा परिषद/विभाग द्वारा किसी अधियाचन पर अपने शिक्षक,भवन एवं उपस्करण आदि को परिषद के अधीन प्रस्तुत करेगी तथा परिषद द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन करेगी।
(झ) जब तक कि शासन द्वारा किसी मामले विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा आदेश न दिये जाये, वह किसी प्रतिद्वन्द्वी परीक्षा (हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट) के लिये परीक्षार्थियों को तैयार नहीं करेगी और न उनमें बैठने देगी,जबकि उसी प्रकार की तथा समान स्तर की परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाती हो। यह शर्त मान्यता प्राप्त आंग्ल भारतीय विद्यालयों के सम्बन्ध में इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा पर लागू नहीं होगी।	(झ) जब तक कि शासन द्वारा किसी मामले विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा आदेश न दिये जाये, वह किसी प्रतिद्वन्द्वी परीक्षा(हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट) के लिये परीक्षार्थियों को तैयार नहीं करेगी और न उनमें बैठने देगी,जबकि उसी प्रकार की तथा समान स्तर की परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाती हो।
(ञ) जिन संस्थाओं द्वारा प्राभूत के रूप में अचल सम्पत्ति जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम में बन्धक है ऐसी अचल सम्पत्ति का विक्रय अथवा किसी अन्य को हस्तान्तरित सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।	(ञ) जिन संस्थाओं द्वारा प्राभूत के रूप में अचल सम्पत्ति जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम में बन्धक है ऐसी अचल सम्पत्ति का विक्रय अथवा किसी अन्य को हस्तान्तरित सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

(ट) प्रदेश के सभी हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं में बालक/बालिका अभ्यर्थियों के प्रवेश लिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। अर्थात् प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बालक तथा बालिका अभ्यर्थियों का प्रवेश विद्यालय की धारण क्षमता एवं मान्य कक्षाओं के अनुरूप लिया जा सकता है।

नोट–बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी,बालिकाओं के प्रवेश के उपरान्त ही रिक्त सीटों पर बालकों के प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।

(ठ) परिषदीय परीक्षाओं में सामूहिक नकल/प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग करने की दोषी पायी गयी किसी भी संस्था की मान्यता परिषद/शासन द्वारा प्रत्याहरित की जा सकती है।

(ड) संस्था द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित शर्तो का पालन नहीं करने अथवा परिषद/विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने अथवा परिषदीय परीक्षाओं के संचालन में किसी गम्भीर अनियमितता बरतने का दोषी पाये जाने पर संबंधित संस्था की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ढ) हाईस्कूल नवीन (वनटाइम) अथवा इण्टरमीडिएट नवीन वर्ग की मान्यता प्राप्त विद्यालय से लगातार दो वर्ष तक कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते अथवा कक्षाए संचालित नहीं करते है तो विद्यालय के प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि इण्टर वनटाइम अथवा अतिरिक्त वर्ग अथवा मान्य वर्गो के वैकल्पिक विषयों की मान्यता पर उक्त प्राविधान लागू नहीं होगा।

(ण) विखण्डित।

(त) छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी वर्ग में प्रदत्त मान्यता के वैकल्पिक विषयों में जिसमें शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री,साज–सज्जा आदि की अतिरिक्त आवश्यकता न हो, एक या एक से अधिक वैकल्पिक विषयों का उसी वर्ग के अन्तर्गत समान वैकल्पिक विषय/विषयों में परिवर्तन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव द्वारा किया जा सकता है परन्तु ऐसे विषय/विषयों के परिवर्तन की अनुमति मान्यता पत्र निर्गत होने के एक वर्ष तक ही प्रदान की जा सकती है।

(थ) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था को परिषद नियम संग्रह/पाठ्य विवरण, निदेशक,राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त कर निर्धारित पाठयचर्या/पाठ्यक्रम की अद्यतन जानकारी रखना आवश्यक होगा।

(द) मान्यता प्राप्त संस्था,विद्यालय में पठन–पाठन एवं अन्य सहपाठ्यगामी क्रियाकलापों का स्वस्थ वातावरण के निर्माण में सक्रिय रहेगी तथा विद्यालय के छात्रों का परीक्षाफल उन्नत करने के दिशा में सदैव तत्पर रहेगी।

(ट) प्रदेश के सभी हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं में बालक/बालिका अभ्यर्थियों के प्रवेश लिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। अर्थात् प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बालक तथा बालिका अभ्यर्थियों का प्रवेश विद्यालय की धारण क्षमता एवं मान्य कक्षाओं के अनुरूप लिया जा सकता है।

नोट–बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी,बालिकाओं के प्रवेश के उपरान्त ही रिक्त सीटों पर बालकों के प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।

(ठ) विखण्डित।

(ड) विखण्डित।

(ढ) हाईस्कूल नवीन (वनटाइम) अथवा इण्टरमीडिएट नवीन वर्ग की मान्यता प्राप्त विद्यालय से लगातार दो वर्ष तक कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते अथवा कक्षाए संचालित नहीं करते है तो विद्यालय के प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि इण्टर वनटाइम अथवा अतिरिक्त वर्ग अथवा मान्य वर्गो के वैकल्पिक विषयों की मान्यता पर उक्त प्राविधान लागू नहीं होगा।

(ण) विखण्डित।

(त) छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी वर्ग में प्रदत्त मान्यता के वैकल्पिक विषयों में जिसमें शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला,शिक्षण सामग्री,साज–सज्जा आदि की अतिरिक्त आवश्यकता न हो, एक या एक से अधिक वैकल्पिक विषयों का उसी वर्ग के अन्तर्गत समान वैकल्पिक विषय/विषयों में परिवर्तन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव द्वारा किया जा सकता है परन्तु ऐसे विषय/विषयों के परिवर्तन की अनुमति मान्यता पत्र निर्गत होने के एक वर्ष तक ही प्रदान की जा सकती है।

(थ) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था को परिषद नियम संग्रह/पाठ्य विवरण, निदेशक,राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद) से प्राप्त कर निर्धारित पाठयचर्या/पाठ्यक्रम की अद्यतन जानकारी रखना आवश्यक होगा। तद्नुसार कार्यवाही सुनिशिचित करायी जाए।

(द) परिषद/विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मान्यता प्राप्त संस्था,विद्यालय में पठन–पाठन एवं अन्य सहपाठ्यगामी क्रियाकलापों का स्वस्थ वातावरण के निर्माण में सक्रिय रहेगी तथा विद्यालय के छात्रों का परीक्षाफल उन्नत करने के दिशा में सदैव तत्पर रहेगी।

(अ) विद्यालय में पठन–पाठन के कार्य के सुचारू संचालन हेतु शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति बोर्ड के बेवसाइट/पोर्टल पर प्रत्येक कार्य

	दिवस में दर्ज की जायेगी।
	(ब) विद्यालय द्वारा विकसित वेबसाइट पर विद्यालय का नाम, ईमेल, टेलीफोन/मोबाइल नम्बर, आधारभूत सुविधाओं (भवन, कक्षों की संख्या, कम्प्यूटर, खेल, पुस्तकालय, परिवहन, पेयजल, शौचालय, प्रयोगशाला, लाइट, फैन) का विवरण, योग्यता सहित शिक्षकों का विवरण, कक्षावार छात्र/छात्राओं की संख्या, प्रत्येक वर्षो का परीक्षाफल एवं शुल्क का विवरण अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। मान्य वर्ग/विषय की सूचना विद्यालय की सूचना पट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी।
(ध) जिन संस्थाओं का परिषद/शासन द्वारा सशर्त मान्यता प्रदान की गयी है ऐसे विद्यालयों को निर्धारित शर्तो को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करना अनिवार्य होगा। शर्तो के निर्धारित अवधि में पूरा न करने की दशा में संस्था कीमान्यता प्रत्याहरित की जा सकती है अथवा निलम्बित की जा सकती है।	**(ध)** विखण्डित।
(न) मान्यता प्राप्त संस्थायें उपर्युक्त प्रतिबंधों के अधीन रहते हुये निम्नांकित शर्तों का भी अनुपालन सुनिश्चित करेंगी :–	(न) मान्यता प्राप्त संस्थायें उपर्युक्त प्रतिबंधों के अधीन रहते हुये निम्नांकित शर्तों का भी अनुपालन सुनिश्चित करेंगी :–
(1) नये भवनों का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराया जाय। तद्नुसार पुराने भवनों का समय–समय पर आवश्यकतानुसार जीर्णोद्वार कराया जाय।	(1) नये भवनों का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराया जाय। तद्नुसार पुराने भवनों का समय–समय पर आवश्यकतानुसार जीर्णोद्वार कराया जाय।
(2) विद्यालय में आवश्यकतानुसार छः माह के भीतर अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जाय।	**(2)** विद्यालय में आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्रों का समय–समय पर नवीनीकरण की व्यवस्था करायी जाए।
(3) विद्यालय में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखे जाय। यदि शैक्षिकदृष्टि से इन्हें रखना आवश्यक हो तो सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।	(3) विद्यालय में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखे जाय। यदि शैक्षिकदृष्टि से इन्हें रखना आवश्यक हो तो सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
(4) अग्निशमन उपकरणों तथा सुरक्षा उपायों से विद्यालय स्टाफ को जनपद के अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाय।	(4) अग्निशमन उपकरणों तथा सुरक्षा उपायों से विद्यालय स्टाफ को जनपद के अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाय।
(5) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। अनुपालन न करने की दशा में विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।	(5) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। अनुपालन न करने की दशा में विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।
(6) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आवेदित नवीन मान्यता के प्रकरणों पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा। जब तक संस्थायें उक्त शर्तो का अनुपालन संबंधी प्रमाण–पत्र निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर देती।	(6) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आवेदित नवीन मान्यता के प्रकरणों पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा। जब तक संस्थायें उक्त शर्तो का अनुपालन संबंधी प्रमाण–पत्र निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर देती।
(7) निरीक्षण अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भवनों की दृढ़ता तथा सुरक्षा उपायों का समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा तथा उक्त शर्तों के अनुपालन आख्या	(7) निरीक्षण अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भवनों की दृढ़ता तथा सुरक्षा उपायों का समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा तथा उक्त शर्तों के अनुपालन आख्या

संस्तुति सहित शिक्षानिदेशक(मा0) को प्रेषित की जायगी। दृढ़ता एवं सुरक्षा का प्रमाण–पत्र केवल समुचित जांच के उपरान्त ही दिया जाय। दोषी पाये गये निरीक्षण अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
(उक्त संशोधन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे)

12– कोई संस्था, जिसे परिषद द्वारा हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परिषद की पूर्वानुज्ञा के बिना और तब तक बन्द नहीं

संस्तुति सहित शिक्षानिदेशक(मा0) को प्रेषित की जायगी। दृढ़ता एवं सुरक्षा का प्रमाण–पत्र केवल समुचित जांच के उपरान्त ही दिया जाय। दोषी पाये गये निरीक्षण अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
(उक्त संशोधन तात्कालिक प्रभाव से लागूहोंगे)

(8) भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य/सुरक्षा के दृष्टि से निर्धारित सेफ्टी गाइड लाइन यथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्कूल सेफ्टी पॉलिसी–2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

स्कूलों में छात्र/छात्राओं के सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(प) **(1)** प्रत्येक कक्षा अथवा कक्षा के खण्ड में छात्रों की संख्या अधिकतम 60 होगी।

(2) विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा। प्रत्येक विषय हेतु एक शिक्षक होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रधानाचार्य, योग, व्यायाम शिक्षक, परामर्शदाता (काउंस्लर) को छोड़कर विभिन्न विषयों में आवश्यकतानुसार हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कक्षाओं के लिए प्रति अनुभाग 1.5 शिक्षक होना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रत्येक विषय का एक अध्यापक होना अनिवार्य होगा। अनुभाग बढ़ने पर विषय की आवश्यकता एवं महत्ता का देखते हुए शिक्षकों की संख्या को बढ़ाना होगा।

(3) संस्था द्वारा शैक्षिक कर्मियों/शिक्षणेत्तर कर्मियों की सेवा शर्तों एवं परिलब्धियों का अनुपालन राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार करना होगा तथा बैंक के माध्यम से सीधे इनके खाते में भुगतान किया जाएगा।

(4) विद्यालय द्वारा अपनी समस्त आय–व्यय के लेखेजोखों का ऑडिट चार्टर्ड एकाउंटेन्ट से कराना होगा तथा रिपोर्ट प्रतिवर्ष जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत करना होगा।

(5) विद्यालय द्वारा ली जा रही शिक्षण शुल्क का स्पष्ट लेखाजोखा रखा जाएगा तथा शिक्षण शुल्क का कम से कम 70 प्रतिशत शैक्षिक एवं अन्य कमियों के परिलब्धियों पर व्यय किया जाएगा।

(फ) बोर्ड द्वारा तद्वर्ष में घोषित राज्य स्तर के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाफल प्रतिशत से संस्था का परीक्षाफल 50 प्रतिशत से कम न हो।

12– कोई संस्था, जिसे परिषद द्वारा हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परिषद की पूर्वानुज्ञा के बिना और तब तक बन्द नहीं

किया जायेगा, जब तक कि बन्द किए जाने के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम एक वर्ष पूर्व लिखित नोटिस,जिसमें संस्था को बन्द करने का कारण उल्लिखित किया जायेगा, परिषद के सचिव को और उसकी एक प्रति निदेशक को रजिस्ट्री डाक से न भेज दी जाय। परिषद संस्था को ऐसी शर्तो पर बन्द किये जाने और संस्था के अभिलेख को किसी अन्य संस्था या प्राधिकारी को, जिसे वह उचित समझे, अन्तरित किए जाने की अनुज्ञा दे सकती है।

13– (क) जब निदेशक अधिनियम की धारा 16–घ के खंड की उपधारा(3) के अन्तर्गत किसी संस्था का मामला परिषद को उसकी मान्यता के प्रत्याहरण के लिए विचारार्थ भेजता है,तो परिषद प्रबन्धक को कारण बताने को कहेगी कि उसके विरूद्व ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाय।

(ख) विनियम 13(क) के अनुसार परिषद द्वारा प्रबन्धक को निर्गत कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रबन्धक द्वारा एक माह के भीतर संयुक्त शिक्षानिदेशक तथा परिषद को प्रेषित करेगा। परिषद प्रबंधक से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा उसे संयुक्त शिक्षानिदेशक की आख्या यथास्थिति अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित करेगी। संस्था की मान्यता प्रत्याहरित होने की दशा में परिषद उस संस्था का नाम मान्यता प्राप्त सूची से काट देगी। अथवा संस्था के प्रबंधक को चेतावनी देते हुए यह आदेश देगी कि परिषद द्वारा नियत अवधि के भीतर संस्था दोष अथवा दोषों को यदि दूर नहीं करती है,तो उसकी मान्यता प्रत्याहरित करते हुए उनका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची से काट दिया जायेगा अथवा एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धक का होगा।

(ग) परिषदनिदेशक की संस्तुति पर किसी संस्था को मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में पुनः रख सकती है अथवा यदि संस्था की मान्यता एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में प्रत्याहरित की गई थी तो पुनः उन विषयों में अभ्यर्थियों को तैयार करने का अधिकार दे सकती है।

14– प्रत्येक संस्था निरीक्षण अधिकारी द्वारा गठित पैनल द्वारा अपने विद्यालय के निरीक्षण/आकस्मिकनिरीक्षण के लिए तैयार रहेगी। निरीक्षण अधिकारी पैनल निरीक्षण हेतु जनपद स्तर पर उपलब्ध अवकाश प्राप्त संस्थाओं के प्रधान/अध्यापकों, शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों का पैनल गठित करेगा। एक पैनल में सदस्यों की संख्या संयोजक सहित तीन से पांच हो सकती हैं। पैनल निरीक्षण के समय संस्था द्वारा समस्त अभिलेख निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जायेगें। पैनल निरीक्षण की आख्या यथाशीघ्र परिषद/विभाग को

किया जायेगा, जब तक कि बन्द किए जाने के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम एक वर्ष पूर्व लिखित नोटिस,जिसमें संस्था को बन्द करने का कारण उल्लिखित किया जायेगा, परिषद के सचिव को और उसकी एक प्रति निदेशक को रजिस्ट्री डाक से न भेज दी जाय। परिषद संस्था को ऐसी शर्तो पर बन्द किये जाने और संस्था के अभिलेख को किसी अन्य संस्था या प्राधिकारी को, जिसे वह उचित समझे, अन्तरित किए जाने की अनुज्ञा दे सकती है।

13– (क) जब निदेशक अधिनियम की धारा 16–घ के खंड की उपधारा(3) के अन्तर्गत किसी संस्था का मामला परिषद को उसकी मान्यता के प्रत्याहरण के लिए विचारार्थ भेजता है,तो परिषद प्रबन्धक को कारण बताने को कहेगी कि उसके विरूद्व ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाय।

(ख) विनियम 13(क) के अनुसार परिषद द्वारा प्रबन्धक को निर्गत कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रबन्धक द्वारा एक माह के भीतर संयुक्त शिक्षानिदेशक तथा परिषद को प्रेषित करेगा। परिषद प्रबंधक से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा उसे संयुक्त शिक्षानिदेशक की आख्या यथास्थिति अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित करेगी। संस्था की मान्यता प्रत्याहरित होने की दशा में परिषद उस संस्था का नाम मान्यता प्राप्त सूची से काट देगी। अथवा संस्था के प्रबंधक को चेतावनी देते हुए यह आदेश देगी कि परिषद द्वारा नियत अवधि के भीतर संस्था दोष अथवा दोषों को यदि दूर नहीं करती है,तो उसकी मान्यता प्रत्याहरित करते हुए उनका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची से काट दिया जायेगा अथवा एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धक का होगा।

(ग) परिषदनिदेशक की संस्तुति पर किसी संस्था को मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में पुनः रख सकती है अथवा यदि संस्था की मान्यता एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में प्रत्याहरित की गई थी तो पुनः उन विषयों में अभ्यर्थियों को तैयार करने का अधिकार दे सकती है।

14– प्रत्येक संस्था निरीक्षण अधिकारी द्वारा गठित पैनल द्वारा अपने विद्यालय के निरीक्षण/आकस्मिकनिरीक्षण के लिए तैयार रहेगी। निरीक्षण अधिकारी पैनल निरीक्षण हेतु जनपद स्तर पर उपलब्ध अवकाश प्राप्त संस्थाओं के प्रधान/अध्यापकों, शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों का पैनल गठित करेगा। एक पैनल में सदस्यों की संख्या संयोजक सहित तीन से पांच हो सकती हैं। पैनल निरीक्षण के समय संस्था द्वारा समस्त अभिलेख निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जायेगें। पैनल निरीक्षण की आख्या यथाशीघ्र परिषद/विभाग को

विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

15– जिला विद्यालय निरीक्षक,निरीक्षण के समय पूर्व में प्राप्त संस्था के फोटो के अनुसार भवन के समक्ष खड़े होकर अपना तथा भवन का फोटो खिचवाकर अपनी आख्या के साथ संलग्न करेंगे, जिससे पूर्व फोटो का सत्यापन हो सके।

16– प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु निर्धारित विभिन्न ट्रेड विषयों में किसी एक ट्रेड विषय का अध्ययन अध्यापन कक्षा 9 तथा 12 तक अपने निजी स्रोत से सुविधानुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। आवश्यकतानुसार संस्थाओं द्वारा एक से अधिक ट्रेड विषयों का संचालन किया जा सकता है। संस्थाओं द्वारा जिन ट्रेड विषयों का संचालन किया जायेगा,उसकी प्रथक से मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं होगी। संस्था सम्बन्धित ट्रेड विषय में स्वतः मान्य माने जायेंगे। संस्था को इस निमित्त कोई शासकीय अनुदान देय नहीं होगा।

विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

15– जनपदीय समिति द्वारा निरीक्षण के समय विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, बाउण्ड्री वाल, पुस्तकालय, वीडियो ग्राफी/फोटोग्राफी की जायेगी, जिसे परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा तथा पेनड्राइव में संरक्षित कर निरीक्षण आख्या के समय संलग्न की जायेगी।

16– प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु निर्धारित विभिन्न ट्रेड विषयों में किन्हीं दो सेक्टर से सम्बंधित अलग–अलग दो जॉब रोल (ट्रेड) का कक्षा 9 तथा 12 तक अध्यापन तथा अध्यापन हेतु आवश्यक उपकरणों वर्क शेड, सामग्री एवं इंस्ट्रक्टर अपने निजी स्रोत से कराया जाना अनिवार्य होगा।

- वोकेशनल ट्रेड का चिन्हिकरण क्षेत्र विशेष की आवश्यकता एवं रोजगार की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए किया जाय। विद्यालय द्वारा संचालित ट्रेड के व्यावहारिक ज्ञान हेतु नजदीक के यथास्थित वर्कशाप, उद्योग, कम्पनी आदि से लिंक स्थापित करना अनिवार्य होगा।

17– संस्था द्वारा हाईस्कूल कक्षाओं के लिए त्रिभाषा एवं इण्टरमीडिएट कक्षाओं के लिए द्विभाषा का शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा इनमें से एक क्षेत्रीय भाषाओं में से एक भाषा होगी। क्षेत्रीय भाषाओं का पाठ्यक्रम सामान्य स्तर का होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में संस्था द्वारा प्रोजेक्ट कार्य एवं भाषा की जानकारी से सम्बंधित शिक्षण कराया जाएगा जिसके आधार पर छात्र/छात्राओं की ग्रेडिंग की जाएगी।

18– मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा अधिनियमित व्यवस्था एवं विभागीय निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर परिशिष्ट–'ख' के अनुसार दण्ड अधिरोपित किये जायेंगे।

19– हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के लिए मान्यता सर्वप्रथम तीन वर्ष के लिए प्रदान की जायेगी। तदोपरान्त स्ववित्त पोषित संस्था द्वारा विद्यालय संचालन हेतु निर्धारित व्यवस्थाओं की समुचित उपलब्धता और मान्यता की शर्तों के अनुपालन की वस्तुस्थिति के स्थलीय निरीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर परिषद द्वारा पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जायेगा। संस्था द्वारा नवीनीकरण के आवेदन के पश्चात निर्धारित समयावधि में नवीनीकरण न किये जाने की स्थिति में स्वतः नवीनीकृत (डीम्ड) माना जाएगा।